निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सेवा में
प्रिय शेयरधारकों,
31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के साथ (52वीं) वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए आपके निदेशकों को प्रसन्नता हो रही है।

1. कार्य–निष्पादन की मुख्य विशेषताएं

1.1 कार्य–निष्पादन का सारांश

पिछले वर्ष के प्रदर्शन की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए आपकी कंपनी के कार्य–निष्पादन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2019–20
संस्वीकृत ऋण	**1,54,820.87**	1,10,907.99
संवितरण	**92,987.49**	75,666.95
डीडीयूजीजेवाई (डीडीजी सहित) और सौभाग्य के अंतर्गत सब्सिडी	**4,940.62**	6,473.88
वसूलियां (ब्याज सहित)	**71,755.40**	62,559.74
कुल प्रचालन आय	**35,387.89**	29,765.21
कर पूर्व लाभ	**10,756.13**	6,983.29
कर उपरांत लाभ	**8,361.78**	4,886.16
कुल व्यापक आय	**8,818.30**	4,336.37

1.2 वित्तीय कार्य–निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए आपकी कंपनी की कुल परिचालन आय वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 29,765.21 करोड़ रुपए की तुलना में 35,387.89 करोड़ रुपए थी। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कर उपरांत लाभ और कुल व्यापक आय वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 4,886.16 करोड़ रुपए और 4,336.37 करोड़ रुपए की तुलना में क्रमशः 8,361.78 करोड़ रुपए और 8,818.30 करोड़ रुपए थी।

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी की सकल ऋण परिसंपत्ति बही 31 मार्च, 2020 को 3,22,424.68 करोड़ रुपए की तुलना में 3,77,418.15 करोड़ रुपए थी। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार बकाया उधार राशियां 3,22,511.05 करोड़ रुपए थीं।

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर आय और प्रति शेयर बही मूल्य क्रमशः 42.34 रुपए और 219.89 रुपए था। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कंपनी की निवल संपत्ति बढ़कर 43,426.37 करोड़ रुपए हो गई, अर्थात यह 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 35,076.56 करोड़ रुपए की निवल संपत्ति से 23.80% अधिक थी।

1.3 कोविड–19 का प्रभाव

भारत वर्तमान में कोविड–19 की दूसरी लहर से जूझ रहा है, जबकि आशंका जताई जा रही है कि ऐसी और अधिक लहरें स्वास्थ्य के साथ–साथ आर्थिक मोर्चे पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेंगी। सुदृढ़ क्रेडिट प्रोफाइल और उधार के विविध स्रोतों तक व्यापक पहुंच के कारण आपकी कंपनी ने अपनी तरलता की स्थिति पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रभाव का अनुभव नहीं किया है। उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों के अलावा, विभिन्न बैंकों से कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण सीमाओं के रूप में पर्याप्त तरलता बफर विद्यमान हैं।

अपने कोविड–19 राहत पैकेज के भाग के रूप में, भारत सरकार ने बिजली उत्पादन और पारेषण कंपनियों की लंबित बकाया राशियों को चुकाने के लिए, आरईसी और पीएफसी के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋणों के रूप में राज्य डिस्कॉम को पर्याप्त लिक्विडिटी प्रदान करने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत, आरईसी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, 60,191.36 करोड़ रुपए की राशि के ऋण स्वीकृत किए हैं और विभिन्न डिस्कॉम को 39,115.50 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की है।

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, आपकी कंपनी ने 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 की अधिस्थगन अवधि के दौरान उधारकर्ताओं से प्रभारित किए गए ब्याज पर ब्याज को वापस करने/उसे समायोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार की है। कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियों में प्रावधान भी किया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ब्याज आय 129.25 करोड़ रुपए तक कम है। आरईसी की सुविधाजनक लिक्विडिटी स्थिति और धन के विविध स्रोतों तक पहुंच को ध्यान में रखते हुए, यह विश्वास करने का कोई कारण मौजूद नहीं है कि मौजूदा संकट का कंपनी के प्रचालन को बनाए रखने की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जिसमें वर्तमान चिंता मूल्यांकन भी शामिल है।

1.4 लाभांश

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए, आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने 6/– रुपए प्रति इक्विटी शेयर और 10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर के लिए 5/– रूपए प्रति इक्विटी शेयर का दूसरा अंतरिम लाभांश घोषित किया है, जिसका भुगतान क्रमशः दिसंबर 2020 और मार्च 2021 में कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, निदेशक मण्डल ने 10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर पर 1.71 रुपए प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। यदि इसका अनुमोदन हो जाता है, तो वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कुल लाभांश 10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर पर 12.71 प्रति शेयर के बराबर होगा, जो कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी के 127.10% का प्रतिनिधित्व करेगा, यह पिछले वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए 110% के लाभांश अर्थात वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 10/– रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयर पर 11/– रुपए प्रति शेयर से अधिक है। प्रस्तावित अंतिम लाभांश सहित, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कुल लाभांश पे आउट राशि 2510.12 करोड़ रुपए होगा।

लाभांश का भुगतान कंपनी की लाभांश वितरण नीति के अनुसार किया जाता है, जो https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Dividend_Distribution_Policy.pdf. पर उपलब्ध है।

1.5 शेयर पूंजी

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ रुपए थी, जिसमें 10/– रुपए प्रत्येक के 500 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल थे। कंपनी की जारी और प्रदत्त शेयर पूंजी 1,974.92 करोड़ रुपए थी, जिसमें 10/– रुपए प्रत्येक के 197,49,18,000 इक्विटी शेयर शामिल थे। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 52.63%, जिसमें 10/– रुपए प्रत्येक के 103,94,95,247 इक्विटी शेयर शामिल थे, भारत सरकार के उपक्रम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास थे। शेष 47.37% प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी जनता द्वारा धारित थी।

2. संस्वीकृत ऋण

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में 1,10,907.99 करोड़ रुपए की तुलना में 1,54,820.87 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए। 1969 में अपनी स्थापना के बाद से आपकी कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2021 तक स्वीकृत संचयी ऋण 12,54,570.32 करोड़ रुपए थे।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए स्वीकृत ऋणों में उत्पादन परियोजनाओं के लिए 39,613.53 करोड़ रुपए, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 17,171.34 करोड़ रुपए, पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं के लिए 19,492.75 करोड़ रुपए, *आत्मनिर्भर भारत* के तहत भारत सरकार की चलनिधि संचार योजना के लिए 60,191.36 करोड़ रुपए और अल्पकालिक और मध्यम अवधि के ऋणों सहित अन्य ऋणों के लिए 4,750.00 करोड़ रुपए शामिल है। इसके अलावा, ₹13,601.89 करोड़ के बकाया, जिस पर आरबीआई के निर्देश और बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिस्थगन नीति के अनुसार स्थगन को बढ़ा दिया गया था, को भी उपरोक्त संस्वीकृतियों में शामिल किया गया है।

3. संवितरण

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में 75,666.95 करोड़ रुपए के मुकाबले कुल 92,987.49 करोड़ रुपए का संवितरण किया। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए संवितरण में उत्पादन परियोजनाओं के लिए 25,929.76 करोड़ रुपए, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 3,265.13 करोड़ रुपए, पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं के लिए 19,301.22 करोड़ रुपए, आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत सरकार की लिक्विडिटी संचार योजना के लिए 39,115.50 करोड़ रुपए तथा लघु अवधि और मध्यम अवधि के ऋणों सहित अन्य ऋणों के लिए 3,900.79 करोड़ रुपए शामिल हैं । संवितरण में भारत सरकार की डीडीयूजीजेवाई, डीडीयूजीजेवाई–डीडीजी और सौभाग्य योजनाओं के तहत 1,475.09 करोड़ रुपए का काउंटर–पार्ट वित्त–पोषण भी शामिल है।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त 4,940.62 करोड़ रुपए की कुल सब्सिडी भी संवितरित की, अर्थात डीडीयूजीजेवाई के तहत 4,527.01 करोड़ रुपए, डीडीयूजीजेवाई–डीडीजी के तहत 25.49 करोड़ रुपए और सौभाग्य योजनाओं के तहत 388.12 करोड़ रुपए। आपकी कंपनी द्वारा इसकी स्थापना के बाद से 31 मार्च, 2021 तक वितरित की गई संचयी राशि 6,90,109.36 करोड़ रुपए थी, जिसमें विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत संवितरित सब्सिडी शामिल नहीं थी।

4. वसूलियां

4.1 आपकी कंपनी मूलधन, ब्याज आदि के प्रति अपनी बकाया राशि की समय पर वसूली को अत्यधिक प्राथमिकता देती है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 62,340.60 करोड़ रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, मानक परिसंपत्तियों (चरण I और II) के लिए ब्याज सहित वसूली के लिए देय राशि 71,680.23 करोड़ रुपए थी (जिसमें कोविड–19 अधिस्थगन नीति के अनुसार 13,601.89 करोड़ रुपए भी शामिल हैं)। कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में 61,945.04 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष के दौरान मानक परिसंपत्तियों (चरण I और II) के लिए कुल 71,424.90 करोड़ रुपए की वसूली की। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 99.64% की वसूली दर हासिल की।

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार मानक परिसंपत्तियों (चरण I और II) से संबंधित व्यतिक्रमी उधारकर्ताओं की बकाया राशि 1,112.46 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020–21 में क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों (चरण III) से 330.50 करोड़ रुपए की वसूली की गई है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में 614.69 करोड़ की वसूली की गई थी।

4.2 आपकी कंपनी की क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियां (चरण III) निम्न स्तर पर बनी रहना जारी रहीं। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, सकल ऋण इम्पेयर्ड परिसंपत्तियां (चरण III) 18,256.93 करोड़ रुपए थीं, जो कि सकल ऋण परिसंपत्तियों का 4.84% है: और निवल ऋण इम्पेयर्ड परिसंपत्तियां (चरण III) 6,465.61 करोड़ रुपए थीं, जो ऋण परिसंपत्तियों का 1.71% है।

4.3 दबावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन

आरईसी ने विभिन्न ढांचों जैसे आरबीआई फ्रेमवर्क अथवा दिवाला और शोधन–अक्षमता संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत समाधान आदि के माध्यम से दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए समर्पित दृष्टिकोण हासिल करने के लिए एक अलग विभाग अर्थात दबावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन (एसएएम) सृजित किया है। इन प्रयासों से, आरईसी अपने एनपीए को न्यूनतम स्तर पर अर्थात विद्युत क्षेत्र में सहकर्मी संगठनों में न्यूनतम में से एक स्तर पर नियंत्रित करने में सक्षम हो पाया है ।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आरईसी ने 3 दबावग्रस्त विद्युत परियोजनाओं को सफलतापूर्वक संचालित और उन्नयित किया जिनमें कुल 3,923 करोड़ रुपए का कुल एक्सपोजर शामिल था, जैसा कि नीचे दिया गया हैः –

क्र.सं.	ऋणी और परियोजना का नाम	आरईसी का एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	टिप्पणियां
1	एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (अंतर्राज्यीय पारेषण परियोजना)	1,111	पुनर्संरचना योजना के क्रियान्वयन द्वारा आईबीसी के बाहर सुलझाया गया।
2	फेसर पावर लिमिटेड (ओडिशा में 100 मेगावाट की सीमित विद्युत परियोजना)	511	आईबीसी के अंतर्गत सुलझाया गया।
3	आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड (छत्तीसगढ़ में 1440 मेगावाट का थर्मल–विद्युत संयंत्र)	2,301	पुनर्संरचना योजना के क्रियान्वयन द्वारा आईबीसी के बाहर सुलझाया गया।

5. वित्तीय समीक्षा

5.1 वित्तीय परिणामों का सारांश

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे दिया गया हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्टैंडअलोन		समेकित	
	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2019–20
प्रचालनों से राजस्व	35,387.89	29,765.21	35,552.68	29,903.93
अन्य आय	22.55	63.92	22.72	77.27
कुल आय	**35,410.44**	**29,829.13**	**35,575.40**	**29,981.20**
वित्त लागतें	21,489.08	18,997.05	21,489.05	18,991.30
निवल ट्रांसलेशन/ट्रांजेक्शन विनिमय हानि	330.26	2,357.90	330.26	2,357.90
फीस और कमीशन व्यय	9.95	25.44	9.95	25.44
उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल हानि	–	–	–	–
वित्तीय लिखतों पर हानि	2,419.62	889.56	2,445.94	919.49
अन्य व्यय	405.40	575.89	518.64	666.23
कुल व्यय	**24,654.31**	**22,845.84**	**24,793.84**	**22,960.36**
इक्विटी पद्धति का प्रयोग करने के लिए हिसाब में लिए गए संयुक्त उद्यम के लाभ/हानि का भाग	–	–	(1.97)	9.14
कर पूर्व लाभ	**10,756.13**	**6,983.29**	**10,779.59**	**7,029.98**
कर व्यय	2,394.35	2,097.13	2,401.35	2,057.71
कर उपरांत लाभ	**8,361.78**	**4,886.16**	**8,378.24**	**4,972.27**
अवधि के लिए अन्य व्यापक आय	456.52	(549.79)	457.76	(553.85)
कुल व्यापक आय	**8,818.30**	**4,336.37**	**8,836.00**	**4,418.42**
जोड़ें: धारित की गई आय और अन्य व्यापक आय का अथशेष	3,085.17	5,036.27	3,347.20	5,226.53
विनियोग के लिए उपलब्ध राशि	**11,903.47**	**9,372.64**	**12,183.20**	**9,644.95**
घटाएं : विनियोग				
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व	(2,563.13)	(1,522.32)	(2,563.13)	(1,522.32)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व	(288.13)	(336.52)	(288.13)	(336.52)
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के अंतर्गत रिजर्व निधि	(1,673.00)	(978.00)	(1,673.00)	(978.00)
डिबेंचर उन्मोचन रिजर्व	–	(49.15)	–	(49.15)
सामान्य रिजर्व	(981.10)	–	(981.10)	–
इम्पेयरमेंट रिजर्व	–	(793.29)	–	(793.29)
शाश्वत ऋण लिखतों पर निर्गम व्यय (करों का निवल)	(0.70)	–	(0.70)	–
उप–योग – विनियोग	***(5,506.06)***	***(3,679.28)***	***(5,506.06)***	***(3,679.28)***

विवरण	स्टैंडअलोन		समेकित	
	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2019–20
घटाएं : स्वामियों को लाभांश का भुगतान (संबंधित करों सहित)				
लाभांश	(2,172.41)	(2,172.41)	(2,172.41)	(2,172.41)
लाभांश वितरण कर	–	(435.78)	–	(446.06)
उप–योग – स्वामियों को लाभांश का भुगतान (संबंधित करों के सहित) (नोट देखें)	***(2,172.41)***	***(2,608.19)***	***(2,172.41)***	***(2,618.47)***
धारित की गई आय और अन्य व्यापक आय का अंतशेष	**4,225.00**	**3,085.17**	**4,504.73**	**3,347.20**

टिप्पणी: *उपरोक्त के अलावा, निदेशक मण्डल ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए ₹1.71 प्रति इक्विटी शेयर प्रत्येक के लिए ₹10/– के अंतिम लाभांश की अनुशंसा की है, जो आगामी एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।*

5.2 राष्ट्रीय राजकोष में योगदान

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आपकी कंपनी ने राष्ट्रीय राजकोष में 2,721.64 करोड़ रुपए की राशि का योगदान दिया, जिसमें प्रत्यक्ष करों के लिए 2,694.33 करोड़ रुपए और जीएसटी के लिए 27.31 करोड़ रुपए शामिल हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में, राष्ट्रीय राजकोष में कुल योगदान 2,214.12 करोड़ रुपए था।

5.3 अनुपात विश्लेषण

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के उल्लेखनीय अनुपातों का तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	वित्तीय 2020–21	वित्तीय 2019–20
प्रति शेयर आय (रुपए)	**42.34**	24.74
औसत निवल मूल्य पर रिटर्न (%)	**21.30**	14.09
बुक वैल्यू प्रति शेयर (रुपए)	**219.89**	177.61
ऋण इक्विटी अनुपात (गुना)	**7.40**	7.94
मूल्य अर्जन अनुपात (गुना)*	**3.10**	3.59
ब्याज कवरेज अनुपात (गुना)	**1.50**	1.37

**क्रमशः 31 मार्च, 2021 को और 31 मार्च, 2020 को पीई अनुपात का परिकलन एनएसई में आरईसी के इक्विटी शेयर के बंद होने वाले मूल्य के आधार पर किया गया है।*

5.4 संसाधन जुटाना

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी ने बाजार से 99,244.53 करोड़ रुपए की निधि जुटाई। इसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों से रुपये सावधि ऋण के रूप में 21,053 करोड़ रुपए, बैंकों से अल्पकालिक ऋण के रूप में 3,550 करोड़ रुपए, पूंजीगत लाभ कर छूट बांड के माध्यम से 5,312.10 करोड़ रुपए और संस्थागत बांडों के माध्यम से 48,101.40 करोड़ रुपए और शाश्वत ऋण लिखतों (पीडीआई) को जारी करके 558.40 करोड़ रुपए जुटाना शामिल हैं। कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बाहरी वाणिज्यिक उधारियों से 20,669.63 करोड़ रुपए की धनराशि भी जुटाई, जो 1,995.00 मिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर थी तथा एफसीएनआर (बी) से 785.00 मिलियन अमरीकी डॉलर और शासकीय विकास सहायता (ओडीए) से 6.89 मिलियन अमरीकी डॉलर जुटाए गए, जो कुल मिलाकर 2,786.89 मिलियन अमरीकी डॉलर हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान वाणिज्यिक पत्र के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई गई।

डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के लिए भारत सरकार की वित्त पोषण आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान निजी प्लेसमेंट आधार पर जारी संस्थागत बांडों के माध्यम से 2,500 करोड़ रुपए की राशि भी जुटाई। इन बांडों पर मूलधन और ब्याज की सेवा का भुगतान भारत सरकार द्वारा विद्युत मंत्रालय के माध्यम से किया जाएगा।

शाश्वत ऋण लिखतें

आरईसी ने शाश्वत ऋण लिखतों (पीडीआई) को जारी करके 558.40 करोड़ रुपए जुटाए हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी ने 10 लाख प्रत्येक के अंकित मूल्य के 5,584 शाश्वत ऋण लिखत (श्रृंखला 206) जारी किए हैं, जिनका कुल मिलाकर मूल्य 558.40 करोड़ रुपए है, जिनमें 7.97% की कूपन दर निहित है। पीडीआई की कोई परिपक्वता नहीं है और ये केवल 10 वर्षों के बाद कंपनी के विकल्प पर कॉल के योग्य है। उक्त लिखत 31 मार्च, 2021 को कंपनी की टियर–I पूंजी (38,744.95 करोड़ रुपए) का 1.44% है। इन लिखतों का पहला ब्याज भुगतान वित्तीय वर्ष 2021–22 में देय होगा। पीडीआई पर विस्तृत प्रकटीकरण इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग बनने वाले स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 25 में प्रदर्शित किया गया है।

आरईसी द्वारा जारी ग्रीन बांड

देश में हरित ऊर्जा की विशाल क्षमता का दोहन करने के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, आरईसी ने जुलाई 2017 में दस वर्षों के कार्यकाल के लिए 450 मिलियन अमरीकी डॉलर के ग्रीन बांड जुटाए हैं, जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार (आईएसएम) खंड और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में भी सूचीबद्ध हैं।

लाभ का उपयोगः लाभ का उपयोग सौर, पवन और नवीकरणीय खरीद दायित्वों के वित्त–पोषण के लिए किया गया है जिसमें योग्य परियोजनाओं का पुनर्वित्त–पोषण, जैसा कि आरईसी के ग्रीन बॉन्ड ढांचे में परिभाषित किया गया है, सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव में योगदान और जीवाश्म ईंधन निर्भरता को कम करके देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना शामिल है।

केपीएमजी इंडिया ने आरईसी के ग्रीन बॉन्ड ढांचे के आधार पर सत्यापन के बाद स्वतंत्र आश्वासन रिपोर्ट प्रदान की है और इसे 17 जुलाई, 2018 को क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव के क्लाइमेट बॉन्ड्स स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा भी प्रमाणित किया गया है।

ग्रीन बॉन्ड ढांचे के अनुसार, आरईसी ने एक सुव्यवस्थित आंतरिक ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से प्रबंधित एक 'ग्रीन पोर्टफोलियो' बनाया है, जिसे नियमित आधार पर अपडेट किया जाता है, ताकि ऐसे ग्रीन पोर्टफोलियो के लिए लाभ के आवंटन की निगरानी, स्थापना और लेखा–जोखा तैयार किया जा सके।

लाभ का प्रबंधनः ग्रीन बांड के संबंध में 450 मिलियन अमरीकी डॉलर (31 मार्च, 2021 तक ~₹3,308 करोड़) की बकाया राशि को निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए आवंटित किया गया था।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	स्थान	क्षमता (मे. वा. में)	ऋण स्वीकृति की तारीख	स्वीकृत ऋण की राशि	31 मार्च, 2021 को बकाया राशि
सोलर					
1	करीम नगर, तेलंगाना	15	11.11.2016	89.84	71.04
2	तेलंगाना	30	21.09.2016	179.62	148.35
3	तेलंगाना	30	21.09.2016	179.62	148.68
4	वारंगल, तेलंगाना	15	11.11.2016	89.84	71.24
5	आंध्र प्रदेश	500	24.02.2016	2,480.00	1,777.69
6	करीम नगर, तेलंगाना	15	11.11.2016	89.84	71.01
7	कडपा, आंध्र प्रदेश	50	12.04.2017	277.50	232.27
8	कडपा, आंध्र प्रदेश	50	12.04.2017	277.50	230.86
9	कडपा, आंध्र प्रदेश	50	12.04.2017	277.50	232.22
10	रंगा रेड्डी, तेलंगाना	5	27.01.2016	26.90	22.15
11	मेडक, तेलंगाना	7	26.11.2015	39.90	31.25
12	करीम नगर, तेलंगाना	15	11.11.2016	89.84	71.03
13	निरुदानगर, तमिलनाडु	5	14.07.2015	26.13	19.69
14	चित्रदुर्ग, कर्नाटक	30	17.04.2017	150.39	134.44
15	मनसा और संगरूर, पंजाब	50	21.05.2016	169.69	148.12
	उप–योग (क)			**4,444.11**	**3,410.04**
पवन					
1	मंदसौर, मध्य प्रदेश	20	28.01.2016	86.63	61.97
2	तिरपुर, तमिलनाडु	6.8	06.06.2012	26.16	18.01
	उप–योग (ख)			**112.79**	**79.98**
नवीकरणीय क्रय दायित्व					
1	महाराष्ट्र	आरपीओ	24.07.2017	500.00	187.50
	उप–योग (ग)			**500.00**	**187.50**
	कुल योग (क+ख+ग)			**5,056.90**	**3,677.52**

आरईसी अपने निरंतर दायित्वों के अनुसार ग्रीन बॉन्ड ढांचे की आवश्यकताओं का अनुपालन करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रीन बॉन्ड से जुटाई गई राशि बॉन्ड के कार्यकाल के दौरान ग्रीन बॉन्ड ढांचे के अनुसार पात्र परियोजनाओं में निवेशित रहती है।

पवगाडा सोलर पार्क, कर्नाटक में अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की आरईसी द्वारा वित्तपोषित 300 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना

नकदी ऋण सुविधाएं

अपने दैनिक कार्यों के परिचालन के लिए, कंपनी के पास विभिन्न बैंकों से 18,299.50 करोड़ रुपए की स्वीकृत नकद ऋण/डब्ल्यूसीडीएल/ओडी सीमा है, जिसमें से 31 मार्च, 2021 तक 13,187.00 करोड़ रुपए का लाभ उठाया गया था।

5.5 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ऋण रेटिंग

घरेलू

आरईसी के घरेलू ऋण लिखतों ने "एएए" रेटिंग प्राप्त किया जाना जारी है, जो क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च और आईसीआरए–क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई उच्चतम रेटिंग है।

अंतर्राष्ट्रीय

आरईसी को अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों मूडीज और फिच से क्रमशः "बीएए3" और "बीबीबी–" की अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है।

5.6 ऋणों की लागत

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान तथा अन्य वित्त प्रभारों को छोड़कर, 31 मार्च, 2021 को बकाया उधारियों के लिए कुल भारित औसत वार्षिक ब्याज दर क्रमशः 5.89% और 6.85% थी। इसके अलावा, वर्ष के दौरान उठाए गए दीर्घकालिक उधारों की भारित औसत वार्षिक ब्याज दर 6.24% थी। इसके परिणामस्वरूप, आपकी कंपनी प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण वित्तपोषण प्रदान करने में सक्षम रही।

5.7 उन्मोचन और पूर्व–भुगतान

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी ने 58,908.07 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया। इसमें संस्थागत बांडों के लिए 26,342.13 करोड़ रुपए, पूंजीगत लाभ कर छूट बांडों के लिए 9,565.23 करोड़ रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर बांडों के लिए 5.39 करोड़ रुपए, बाहरी वाणिज्यिक उधारों के लिए 10,312.77 करोड़ रुपए, एफसीएनआर ऋणों के लिए 7,266.21 करोड़ रुपए और सरकारी विकास सहायता (ओडीए) ऋण के लिए 206.34 करोड़ रुपए की पुनर्भुगतान राशि शामिल है। कंपनी ने बैंकों को 5,210.00 करोड़ रुपए की राशि के दीर्घावधि ऋण का भी भुगतान किया।

5.8 वर्ष के अंत में वित्तीय स्थिति

वित्तीय वर्ष 2020–21 की समाप्ति पर, आपकी कंपनी के कुल संसाधन 4,00,233.19 करोड़ रुपए मूल्य के थे। इसमें से, इक्विटी शेयर पूंजी ने 1,974.92 करोड़ रुपए का योगदान दिया, पूरी तरह से इक्विटी प्रकृति के लिखत 558.40 करोड़ रुपए के थे, रिजर्व और अधिशेष सहित अन्य इक्विटी 40,893.05 करोड़ रुपए की थीं, उधारियों और अन्य वित्तीय देनदारियों सहित वित्तीय देनदारियों का योगदान 3,56,571.73 करोड़ रुपए का था और प्रावधानों सहित गैर–वित्तीय देनदारियां 235.09 करोड़ रुपए की थी। इन निधियों को 3,96,951.24 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक/अल्पकालिक ऋण, निवेश आदि सहित वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में और 3,281.95 करोड़ रुपए को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, कर संपत्ति आदि सहित गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में उपयोग में लाया गया था।

5.9 नीतिगत पहलें

हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करने की दृष्टि से और प्रचलित सांविधिक आवश्यकताओं के अनुरूप, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न नीतियों और योजनाओं की शुरूआत करके और उनमें संशोधन करके अपने नीतिगत ढांचे को मजबूत किया है। इसमें महामारी के दौरान व्यवसाय संचालन के लिए अपनाई गई नीतियां, जैसे मूल किश्तों को आस्थगित करना और/या कोविड–19 के तहत पुनर्भुगतान अनुसूची को स्थानांतरित करने में ब्याज, कोविड–19 के तहत डिस्कॉम को विशेष दीर्घकालिक संक्रमण ऋण की योजना, उदय सीमाओं के भीतर डिस्कॉम को विशेष ऋण की योजना और उदय सीमाओं की छूट में डिस्कॉम को विशेष संक्रमण ऋण की योजना भी शामिल है।

कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के संबंध में अपनी नीतियों को भी आरंभ किया है और उनकी समीक्षा की है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वचन–पत्र के लिए नीति, राज्य बिजली केंद्रों की ग्रेडिंग पर नवीकरणीय ऊर्जा दिशा–निर्देशों में संशोधन, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए मूल्यांकन दिशानिर्देशों (परियोजना और इकाई) का संशोधन तथा ऊर्जा परियोजनाओं और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पुनर्वित्त नीति में संशोधन करना शामिल है।

आरईसी के मौजूदा केवाईसी दिशानिर्देशों की भी समीक्षा की गई और तदनुसार, कंपनी ने अपनी संशोधित धन–शोधन निवारण और अपने ग्राहक को जानिए नीति को अधिसूचित किया है। कंपनी ने उक्त नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक नामनिर्दिष्ट निदेशक और प्रमुख अधिकारी को नामित किया है।

वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा अनुमोदित अन्य नीतियों में अनुमानित क्रेडिट हानि की गणना के लिए नीति, डिस्कॉम और गेडकोस को रिवॉल्विंग बिल भुगतान सुविधा की पेशकश करने के लिए नीति, स्थायी ऋण लिखतों के माध्यम से धन जुटाने की नीति, अल्पकालिक अधिशेष निधियों के निवेश के लिए नीति की समीक्षा, सीएसआर और स्थिरता नीति में संशोधन और उचित व्यवहार संहिता की समीक्षा शामिल है।

इसके अलावा, उद्योग के रुझान के अनुरूप और उधारकर्ताओं को कम ब्याज दरों का लाभ देने के लिए, कंपनी ने विभिन्न श्रेणियों में अपनी ब्याज दरों में कमी की है।

6. वर्तमान पारेषण और वितरण परिदृश्य

चूंकि देश की स्थापित उत्पादन क्षमता 382 गीगावाट (31 मार्च, 2021 तक) के उच्च स्तर पर है और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक क्षमता का लाभ उठाने की योजना है, पारेषण और वितरण (टी एंड डी) क्षेत्र निरंतर वृद्धि की ओर अग्रसर है। तकनीकी रूप से पुराने और जर्जर होते जा रहे वितरण ढांचे को मजबूत करने की भी जरूरत है। समय की मांग है कि एक अत्याधुनिक मजबूत और विश्वसनीय निकास और वितरण प्रणाली स्थापित की जाए, जो अधिक भार को संभालने में सक्षम हो। भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम सौभाग्य के तहत घरेलू कनेक्शनों के लक्ष्य को प्राप्त कर लेने के साथ ही अब वितरण अधिक ध्यान दिए जाने वाला क्षेत्र बन गया है। इसलिए, टी एंड डी सेगमेंट इस क्षेत्र को विश्वसनीय, किफायती बनाने और भविष्य के विकास को अवशोषित करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

आपकी कंपनी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं की नोडल एजेंसी के रूप में, नए बुनियादी ढांचे के निर्माण और मौजूदा नेटवर्क को संवर्धित करने/सुदृढ़ बनाने में सक्रिय भूमिका निभाती है। आपकी कंपनी व्यापक रूप से प्रणाली में सुधार और संवृद्धि, हानि में कमी के उपायों, आईटी आधारित प्रणाली क्रियान्वयन, उपभोक्ता संतुष्टि आदि के उद्देश्यों के साथ वितरण परियोजनाओं की पूरी श्रृंखला को वित्त–पोषित करती है और इस प्रकार विद्युत क्षेत्र के विकास और उसकी संधारणीयता में तथा देश की समग्र आर्थिक–सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

6.1 वितरण क्षेत्र में प्रमुख सुधार

देश में कोविड–19 महामारी के प्रकोप और इसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने बिजली क्षेत्र की तरलता की समस्या में वृद्धि कर दी है। भारत सरकार ने 13 मई, 2020 को आत्मनिर्भर भारत के तहत द्रवता संचार योजना की घोषणा की, जिसके बाद 14 मई, 2020 को विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा जारी एक परामर्श जारी किया गया जिसमें आरईसी और पीएफसी द्वारा डिस्कॉम को वित्त–पोषण प्रदान करने की परिकल्पना की गई ताकि वे सीपीएसयू जेनकोस और ट्रांसकोस, स्वतंत्र बिजली उत्पादकों और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों के प्रति 31 मार्च, 2020 तक देय उनकी बकाया राशियों का निपटान कर सकें। इसके अलावा, एमओपी ने 2 सितंबर, 2020 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से आरईसी और पीएफसी को उदय सीमाओं से ऊपर जाते हुए डिस्कॉम को ऋण देने के लिए एकबारीय अनुमति प्रदान कर दी ताकि वे सीपीएसयू जेनकोस और ट्रांसकोस, स्वतंत्र बिजली उत्पादकों और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों के प्रति उनकी 30 जून, 2020 तक की बकाया राशि का निपटान कर सकें। उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन से महामारी के दौरान डिस्कॉम की द्रवता की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

इसके अलावा, हाल ही में सरकार द्वारा डिस्कॉम के वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन में सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया गया है। वितरण क्षेत्र को सहयोग देने के लिए सरकार के नीतिगत ढांचे में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय), एकीकृत बिजली विकास योजना (आईपीडीएस), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), स्मार्ट ग्रिड, स्वचालित मीटर रीडिंग आदि जैसी पहलें शामिल हैं। उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और बेहतर बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए कई और पहलकदम संचालित किए जा रहे हैं।

आपकी कंपनी डिस्कॉम को विभिन्न सुधार उपायों के क्रियान्वयन में तेजी लाने तथा प्रणालियों और स्मार्ट ग्रिड के आधुनिकीकरण और स्वचालन, मीटरिंग और उपभोक्ता सेवाओं के लिए आईटी–सक्षम प्रणालियां अपनाने और वितरण क्षेत्र में अन्य तकनीकी हस्तक्षेपों सहित सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। आपकी कंपनी डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन, सौभाग्य और एनईएफ योजनाओं के संचालन के लिए नोडल एजेंसी भी है। इसके अलावा, आपकी कंपनी पावर फॉर ऑल वेब–पोर्टल के विकास में सहायक रही है और इस प्रयास में विद्युत मंत्रालय की सहायता करने में लगी हुई है।

भारत सरकार द्वारा सभी को बिजली की सुविधा प्रदान करने और केंद्रों के परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन में सुधार ने कई राज्यों में विनियामकों द्वारा टैरिफ की समय पर अधिसूचना, एमवाईटी याचिकाएं दायर करने, एआरआर में इक्विटी पर रिटर्न का दावा करने, राज्य सरकार आदि द्वारा राजस्व सब्सिडी जारी करने, आदि के संदर्भ में सकारात्मक परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है। सभी राज्यों द्वारा हस्ताक्षरित "24x7 पावर फॉर ऑल" दस्तावेज देश भर में बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

6.2 राष्ट्रीय विद्युत निधि

आरईसी राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) जो एक ब्याज सब्सिडी योजना है, के संचालन के लिए नोडल एजेंसी है। इसमें 8,466 करोड़ रुपए (ब्याज सब्सिडी और अन्य आकस्मिक खर्चों के लिए) का प्रावधान है, जिसे ऋण संवितरण पर भुगतान किए गए ब्याज के प्रति 14 वर्षों में प्रदान किया जाएगा तथा जिसकी राशि दो वित्तीय वर्षों अर्थात 2012–13 और 2013–14 के दौरान स्वीकृत वितरण योजनाओं के लिए 23,973 करोड़ रुपए है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार वितरण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों में राज्य विद्युत केंद्रों/वितरण कंपनियों द्वारा लिए गए ऋण के लिए भुगतान किए गए ब्याज पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है।

इस सुधार–संबद्ध योजना में, एनईएफ दिशा–निर्देशों में उल्लिखित सुधार–आधारित मापदंडों की प्राप्ति कर लेने पर, डिस्कॉम को 3% से 7% की ब्याज सब्सिडी देय होती है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों की उपयोगिताएं पहले ही इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, जिसमें 31 मार्च, 2021 तक 448.70 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी जारी की जा चुकी है।

6.3 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

आरईसी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के संचालन के लिए नोडल एजेंसी भी है। यह ग्रामीण बिजली वितरण के सभी पहलुओं को कवर करने वाली भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। जनसंख्या मानदंड पर ध्यान दिए बिना सभी बिना बिजली वाले गांवों/बस्तियों को योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार विद्युतीकरण के लिए कवर किया जाता है। पूर्व में चल रही सभी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को डीडीयूजीजेवाई में समाहित कर दिया गया है। एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, देश के सभी शेष बिना बिजली वाले जनगणना वाले गांव 28 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत हो गए हैं।

डीडीयूजीजेवाई निम्नलिखित परियोजना घटकों के माध्यम से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए 24x7 बिजली' के लक्ष्य की उपलब्धि को सुगम बनाता हैः

क) गैर–कृषि उपभोक्ताओं को निरंतर गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति और कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने वाले कृषि और गैर–कृषि फीडरों को पृथक करना;
ख) उप–पारेषण और वितरण बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन;
ग) माइक्रो–ग्रिड और ऑफ–ग्रिड वितरण नेटवर्क;
घ) वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग; तथा
ड.) ग्रामीण विद्युतीकरण घटक (पूर्ववर्ती आरई परियोजनाओं सहित)।

इस योजना के तहत, परियोजना लागत का 60% (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 85%) भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है और निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि पर 15% (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 5%) तक अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है। योजना के उद्देश्यों को साकार करने के लिए, सभी हितधारकों, विशेष रूप से जन प्रतिनिधियों की भागीदारी को वरिष्ठतम संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) (तत्कालीन जिला विद्युत समितियां) के गठन के माध्यम से संस्थागत किया गया है। दिशा को डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करने का अधिकार दिया गया है।

इस योजना में 43,033 करोड़ रुपए का स्वीकृत परिव्यय है, जिसमें भारत सरकार की ओर से 33,453 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता भी शामिल है। विद्युत मंत्रालय द्वारा 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डीडीयूजीजेवाई के लिए 44,896 करोड़ रुपए (28,198 करोड़ रुपए के अनुदान सहित) की राशि स्वीकृत की गई है, जिसकी तुलना में 31 मार्च, 2021 तक 30,664 करोड़ रुपए (22,299 करोड़ रुपए के अनुदान सहित) जारी किए गए हैं।

डीडीयूजीजेवाई में समाहित पूर्ववर्ती आरई परियोजनाएं

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने संघ–राज्य क्षेत्रों सहित 29 राज्यों में डीडीयूजीजेवाई के साथ विलयित तत्कालीन आरई परियोजनाओं (अर्थात दसवीं योजना, ग्यारहवीं योजना और बारहवीं योजना) के तहत 66,353.60 करोड़ रुपए (डीडीजी परियोजनाओं सहित) (अनुदान शामिलः 59,718.24 करोड़ रुपए) की राशि को मंजूरी दी है। जिसकी तुलना में 31 मार्च, 2021 तक 57,738.96 करोड़ रुपए (52,072.70 करोड़ रुपए के अनुदान सहित) जारी किए गए हैं।

सौभाग्य परिवारों के विद्युतीकरण को समर्थ बनाने के लिए अतिरिक्त अवसंरचना

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने डीडीयूजीजेवाई के तहत सौभाग्य योजना के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 14,178.86 करोड़ रुपए (अनुदान शामिलः 9,399 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त निधि को मंजूरी प्रदान की है, जिसकी तुलना में 31 मार्च 2021 तक 7,011.77 करोड़ रुपए (6,468.12 करोड़ रुपए के अनुदान सहित) जारी किए गए हैं।

6.4 जम्मू–कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज, 2015

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वितरण सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए 27 नवंबर, 2015 को तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य (अब जम्मू–कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश) के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज ("पीएमडीपी–2015") की घोषणा की गई थी,

जिसकी अनुमोदित परियोजना लागत 2,570.14 करोड़ रुपए (भारत सरकार से 90% अनुदान अर्थात 2,301.62 करोड़ रुपए) थी। इस योजना के तहत शामिल किए गए प्रमुख कार्यों में प्रणाली को मजबूत करना, असंबद्ध घरों को जोड़ना, कंटीले तारों और घिसे–पिटे खंभों को बदलना, पर्यटन स्थलों पर भूमिगत केबल बिछाना, उपभोक्ता मीटरिंग, औद्योगिक क्षेत्रों में 33/11 केवी सब–स्टेशनों का निर्माण और धार्मिक तीर्थस्थलों में विद्युत अवसरंचना का निर्माण शामिल है।

उपरोक्त में से, 1,157.76 करोड़ रुपए (भारत सरकार का अनुदानः ₹1,041.98 करोड़) ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। निधि को आरईसी के माध्यम से चैनलाइज किया जाएगा। योजना के तहत 31 मार्च, 2021 तक 612.35 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

6.5 सौभाग्य – प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

माननीय प्रधानमंत्री ने देश के हर गांव और जिले में सार्वभौमिक कुटुंब विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 25 सितंबर, 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) का शुभारंभ किया था। इसका योजना परिव्यय 16,320 करोड़ रुपए है, जिसमें 12,320 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता शामिल है। योजना के संचालन के लिए आरईसी नोडल एजेंसी है। सार्वभौमिक कुटुंब विद्युतीकरण के लिए अंतिम छोर तक संयोजनता प्रदान करने के माध्यम से बिजली की पहुंच सृजित किए जाने की आवश्यकता है। जहां कहीं भी ग्रिड कनेक्टिविटी तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है और वित्तीय रूप से अव्यवहार्य है, वहां सौर–आधारित ऑफ–ग्रिड सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकरण का सहारा लिया जाता है।

सौभाग्य योजना का उद्देश्य निम्नलिखित प्रदान करना है:

क. ग्रामीण क्षेत्रों में बिना बिजली वाले सभी घरों के लिए अंतिम छोर तक विद्युत संयोजनता और बिजली कनेक्शन;

ख. शहरी क्षेत्रों में सभी शेष आर्थिक रूप से निर्धन बिना बिजली वाले परिवारों के लिए अंतिम छोर तक विद्युत संयोजनता और बिजली कनेक्शन। समृद्ध शहरी परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया है;

ग. दूरदराज और दुर्गम गांवों/बस्तियों में स्थित बिना बिजली वाले ऐसे घरों के लिए सौर फोटो–वोल्टेइक (एसपीवी) आधारित स्टैंडअलोन प्रणाली, जहां ग्रिड विस्तार संभव नहीं है या यह किफायती नहीं है।

इस योजना के तहत, विद्युत मंत्रालय द्वारा 31 मार्च, 2021 तक 26 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को 14,109 करोड़ रुपए (9,093 करोड़ रुपए के अनुदान सहित) मंजूर किए गए हैं, जिसकी तुलना में 8,736.90 करोड़ रुपए (भारत सरकार के 5,393.59 करोड़ रुपए के अनुदान सहित) जारी किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई और राज्य सरकारों की स्कीम के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 तक 2.82 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

6.6 ऊर्जा मित्र

ऊर्जा मित्र वितरण क्षेत्र की एक पहल है और अपनी तरह की पहली एप्लीकेशन है जिसे आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, अर्थात आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड ("आरईसीपीडीसीएल") (जिसे पहले आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) द्वारा विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में कार्यान्वित किया जा रहा है। ऊर्जा मित्र को पहले आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जो आरईसी की एक अन्य पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आरईसीपीडीसीएल में आमेलित कर दिया गया था।

ऊर्जा मित्र राज्य विद्युत वितरण केंद्रों के लिए एक केंद्रीय आउटेज प्रबंधन और अधिसूचना मंच प्रदान करता है, जो पूरे भारत में शहरी और ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को एसएमएस, ईमेल या पुश अधिसूचना के माध्यम से विद्युत आउटेज की जानकारी प्रसारित करता है। पूरे देश में बिजली उपभोक्ताओं को एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आउटेज अपडेट मिलता है। यह देश के किसी भी हिस्से में वास्तविक समय में विद्युत आउटेज को देखने और बिजली आउटेज की शिकायत दर्ज करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। जून 2021 तक, 29 राज्यों में 53 डिस्कॉम के लगभग 23.32 करोड़ उपभोक्ताओं का डेटा एप्लिकेशन में अपलोड किया गया है और उपभोक्ताओं को 391.62 करोड़ एसएमएस भेजे गए हैं।

6.7 11 केवी ग्रामीण फीडर निगरानी योजना

11 केवी ग्रामीण फीडर निगरानी योजना आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी अर्थात आरईसीपीडीसीएल द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का एकमात्र उद्देश्य पूरे देश में ग्रामीण बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और मात्रा के मानदंडों की निगरानी करना है। योजना के तहत, स्थापित मोडेम/डीसीयू फीडर मीटर से डेटा प्राप्त करते हैं जिसे मीटर डेटा अधिग्रहण प्रणाली (एमडीएएस) को नियमित रूप से भेजा जा रहा है। अर्जित डेटा का स्थानांतरण बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के मशीन–से–मशीन तक संप्रेषण के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसे अधिग्रहीत आंकड़ों का विश्लेषण मीटर डेटा प्रबंधन प्रणाली अर्थात एमडीएम पर किया जा रहा है, जहां ग्रामीण और कृषि फीडरों/क्षेत्रों में आपूर्ति के घंटों से संबंधित विभिन्न उपयोगी एमआईएस तैयार किए जा रहे हैं। एमडीएम को नेशनल पावर पोर्टल (एनपीपी) के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिसे विभिन्न हितधारकों जैसे डिस्कॉम, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (सीईए), आरईसी और आरईसीपीडीसीएल द्वारा एक्सेस किया जा रहा है।

6.8 तरंग

तरंग (रियल–टाइम निगरानी और विकास के लिए पारेषण ऐप) ट्रांसमिशन सेक्टर की एक पहल है, जिसे आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी अर्थात आरईसीपीडीसीएल के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। तरंग ऐप पारेषण प्रणाली की अखिल भारतीय प्रगति के बारे में एक सूचनात्मक माध्यम प्रदान करता है, जिसे माह–वार, एजेंसी–वार, राज्य–वार जानकारी आदि के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। बंद पड़ी या विलंबित परियोजनाओं के मामले में देरी का कारण अलग से प्रदान किया गया है, ताकि सभी संबंधित हितधारक परियोजना को पूरा करने के लिए समय पर सुधारात्मक निर्णय ले सकें।

तरंग टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के साथ–साथ विनियमित टैरिफ तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही अंतर–राज्य और अंतरा–राज्य पारेषण परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है। तरंग राष्ट्रीय पारेषण समिति द्वारा अनुशंसित आगामी पारेषण परियोजनाओं की अग्रिम सूचना भी प्रदान करता है, जिससे बोलीदाताओं को भावी पारेषण परियोजनाओं के लिए तैयार होने में सहायता मिलती है। दूसरे शब्दों में, यह पूरे देश में पारेषण प्रणाली का वास्तविक समय भंडार है।

7. वित्त–पोषण क्रियाकलाप

आपकी कंपनी गांवों के विद्युतीकरण के साथ–साथ बिजली उत्पादन (पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा सहित), पारेषण और वितरण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती रही है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आपकी कंपनी ने भारत सरकार की लिक्विडिटी संचार योजना के तहत बिजली यूटिलिटिज का भी वित्त–पोषण किया, जिसकी परिकल्पना आत्मनिर्भर भारत के भाग के रूप में की गई थी।

वर्ष के दौरान प्रमुख वित्त–पोषण क्रियाकलापों के विवरण इस प्रकार हैं:–

7.1 उत्पादन

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आपकी कंपनी ने 39,613.53 करोड़ रुपए की कुल ऋण सहायता के साथ 23 उत्पादन, आर एंड एम (नवीनीकरण और आधुनिकीकरण) और अन्य ऋण स्वीकृत किए जिनमें 2 अतिरिक्त ऋण भी शामिल थे तथा इसमें अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ कंसोर्टियम वित्त–पोषण शामिल है जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण की राशि (₹ करोड़ में)
राज्य क्षेत्र	**22**	**38,682.78**
– नए ऋण	20	34,392.24
– अतिरिक्त ऋण	2	4,290.54
निजी क्षेत्र	**1**	**930.75**
– नए ऋण	1	930.75
कुल	**23**	**39,613.53**

उपरोक्त के अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिस्थगन नीति के अनुसरण में, ₹4,687.80 करोड़ के उत्पादन ऋण के बकाया देय पर अधिस्थगन को बढ़ाया गया था। इन्हें भी संस्वीकृतियों में गिना जाता है

आंध्र प्रदेश में आरईसी द्वारा वित्तपोषित पुरुषोत्थापनम लिफ्ट सिंचाई योजना चरण– I का पंप–हाउस

7.2 नवीकरणीय ऊर्जा

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आपकी कंपनी ने 3,759 मेगावाट की कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता वाली 40 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जिसमें कुल ऋण सहायता 17,171.34 करोड़ रुपए है और जिसका विवरण नीचे दिया गया है:–

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण की राशि (₹ करोड़ में)
राज्य क्षेत्र	**15**	**2,309.78**
– नए ऋण	15	2,309.78
निजी क्षेत्र	**25**	**14,861.56**
– नए ऋण	16	12,912.77
– टेकआउट फाइनेंसिंग	9	1,948.79
कुल	**40**	**17,171.34**

उपरोक्त ऋणों में 2,902 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 20 सौर फोटो–वोल्टाइक परियोजनाएं, 706 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 4 पवन ऊर्जा परियोजनाएं, 150 मेगावाट क्षमता की 1 सौर ऊर्जा हाइब्रिड परियोजना, 2000 एमडब्ल्यूपी प्रति वर्ष क्षमता की एक सोलर मॉड्यूल एवं सेल विनिर्माण परियोजना, कुसुम योजना के अंतर्गत 3 सौरीकरण परियोजनाएं, 1 मेगावाट वाली एक लघु जल–विद्युत परियोजना, हाईडेल संयंत्रों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए 6 परियोजनाएं और कुल 902 ई–बसों की खरीद के लिए 4 ई–वाहन परियोजनाएं शामिल हैं।

उपरोक्त के अलावा, बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिस्थगन नीति के अनुसरण में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा ऋण के 1,040.60 करोड़ के बकाया देय पर स्थगन को बढ़ाया गया था। इन्हें भी संस्वीकृतियों में गिना जाता है।

तमिलनाडु के तूतीकोरिन में आरईसी द्वारा वित्तपोषित विविड सोलेयर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की 252 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना

7.3 पारेषण और वितरण

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आपकी कंपनी ने निजी क्षेत्र में अंतर–राज्यीय/अंतरा–राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए ऋण सहित 19,492.75 करोड़ रुपए की कुल ऋण सहायता वाली पारेषण और वितरण (टीएंडडी) योजनाओं और परियोजनाओं को मंजूरी दी। पारेषण एवं वितरण श्रेणी के तहत ऋणों में बिजली उत्पादन संयंत्रों से जुड़ी प्राथमिक विद्युत निकासी योजनाओं, प्रणाली सुधार योजनाओं, उपकरण/सामग्री जैसे मीटर, ट्रांसफार्मर, कंडक्टर, टावर सामग्री, केबल इत्यादि की खरीद और स्थापना के लिए योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं जैसे डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस और सौभाग्य तथा कृषि उपभोक्ताओं सहित उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों तक बिजली की पहुंच प्रदान करने के लिए अवसरंचना योजनाओं के अधीन ऋण घटक भी शामिल है।

इसके अलावा, आपकी कंपनी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत परिकल्पित भारत सरकार की लिक्विडिटी संचार योजना के तहत 60,191.36 रुपए के ऋण भी स्वीकृत किए। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान स्वीकृत पारेषण एवं वितरण ऋणों का विवरण नीचे दिया गया हैः–

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण की राशि (₹ करोड़ में)
राज्य क्षेत्र	**364**	**76,626.10**
– पारेषण ऋण	96	5,184.73
– संवितरण ऋण	242	11,250.01
– लिक्विडिटी संचार योजना के अधीन ऋण	26	60,191.36
निजी क्षेत्र	**3**	**3,058.01**
– अन्तरा–राज्यीय पारेषण परियोजना	1	1,477.96
– अन्तर–राज्यीय पारेषण परियोजना	2	1,580.05
कुल	**367**	**79,684.11**

उपरोक्त के अलावा, बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिस्थगन नीति के अनुसरण में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान टी एंड डी ऋणों के ₹7,333.58 करोड़ के बकाया देय पर स्थगन को बढ़ाया गया था। इन्हें भी संस्वीकृतियों में गिना जाता है।

7.4 अल्प/मध्यम अवधि के ऋण और अन्य ऋण सहायता

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न विद्युत यूटिलिटिज को उनकी अल्पकालिक, मध्यम अवधि आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अथवा उनकी कार्यशील पूंजी निधि की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुल 4,750.00 करोड़ रुपए की राशि के 11 अल्पकालिक, मध्यम अवधि और अन्य ऋण भी स्वीकृत किए हैं। उपरोक्त के अलावा, बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिस्थगतन नीति के अनुसरण में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अन्य ऋणों के ₹539.91 करोड़ के बकाया देय पर स्थगन को बढ़ाया गया था। इन्हें भी संस्वीकृतियों में गिना जाता है।

7.5 पूर्वोत्तर राज्यों के वित्त–पोषण क्रियाकलाप

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आपकी कंपनी ने पूर्वोत्तर राज्यों में पारेषण एवं वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कुल 1,057.52 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। इसमें मणिपुर और मेघालय में केंद्रों के लिए 728.60 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी संचार योजना के तहत ऋण भी शामिल है।

7.6 निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन प्रणाली

निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए आरईसी के पास अपने दिशा–निर्देश मौजूद हैं। प्रवर्तक/इकाई मूल्यांकन वित्तीय प्रदर्शन, क्रेडिट–योग्यता, प्रबंधन दक्षता और प्रवर्तक संस्थाओं के क्षेत्रीय अनुभव के आधार पर किया जाता है। परियोजना मूल्यांकन विभिन्न तकनीकी मानकों जैसे वैधानिक मंजूरी, पीपीए, बुनियादी अवसरंचना आदि के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार, परियोजना की 'एकीकृत रेटिंग' इकाई और परियोजना की संयुक्त रेटिंग के आधार पर आकलित की जाती है। आरईसी की ब्याज दरें और सुरक्षा संरचना निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को प्रदान किए गए ग्रेड या एकीकृत रेटिंग से जुड़ी हुई होती हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आरईसी ने बदलती बाजार प्रथाओं, विनियामक वातावरण, आरबीआई नीतियों आदि को देखते हुए निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए मौजूदा मूल्यांकन दिशानिर्देशों की सीमित समीक्षा की प्रक्रिया को पूरा किया है।

7.7 राज्य विद्युत यूटिलिटिज, जेवी, कंपनियों, संस्थाओं आदि की ग्रेडिंग

आपकी कंपनी के पास राज्य विद्युत यूटिलिटिज की ग्रेडिंग के लिए सुपरिभाषित नीति और दिशा–निर्देश विद्यमान हैं। राज्य विद्युत यूटिलिटिज (उत्पादन, पारेषण और व्यापार) की ग्रेडिंग एक वर्ष के दौरान दो बार की जाती है, जो विशिष्ट मापदंडों, परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन, विनियामक अनुपालन, वार्षिक वित्तीय परिणामों आदि के आधार पर यूटिलिटिज के प्रदर्शन के मूल्यांकन के आधार पर होती है। राज्य के संबंध में विद्युत वितरण यूटिलिटिज (एसईबी/एकीकृत संचालन वाले यूटिलिटिज सहित), आपकी कंपनी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा फ्रेमवर्क और रेटिंग के अनुमोदन के बाद स्वतंत्र रेटिंग एजेंसियों (केयर/आईसीआरए) द्वारा की गई अंतिम वार्षिक एकीकृत रेटिंग को अपनाती है।

वित्त–पोषण के उद्देश्य से, आपकी कंपनी ने राज्य बिजली उत्पादन, पारेषण और व्यापारिक यूटिलिटिज आदि को 'ए++', 'ए+', 'ए', 'बी' और 'सी' श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आपकी कंपनी ने 141 यूटिलिटिज (राज्य सरकार को छोड़कर) के संबंध में ग्रेडिंग पूरी कर ली है, जिनमें से 19 केंद्रों को ए++, 48 को ए+, 42 को ए, 25 को बी और 7 केंद्रों को सी श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। आपकी कंपनी ने ईआरपी प्लेटफॉर्म पर स्टेट ग्रेडिंग के लिए एक मॉडल भी विकसित किया है।

आरईसी ने उत्तराखण्ड के देहरादून में 2x60 मेगावाट की व्यासी जलविद्युत परियोजना को वित्तपोषित किया।

7.8 वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान किया गया निवेश

आरबीआई ने 4 नवंबर, 2019 के अपने परिपत्र के माध्यम से 1 दिसंबर, 2020 से प्रभावी पर्याप्त उच्च गुणवत्तापूर्ण लिक्विडिटी परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) बनाए रखने के लिए निर्धारित किया है, ताकि संभावित लिक्विडिटी व्यवधानों के निपटान के लिए एनबीएफसी के लचीलेपन को बढ़ावा दिया जा सके और किसी भी तीव्र लिक्विडिटी तनाव परिदृश्य से बचा जा सके। इसके अनुपालन में, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने सरकारी प्रतिभूतियों, राज्य विकास ऋणों और कॉर्पोरेट बांडों में निवेश किया है।

इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा (पूर्ववर्ती विजया बैंक) और केनरा बैंक (पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक) के कंपनी द्वारा सब्सक्राइब किए गए, परपेचुअल बॉन्ड की शर्तों के अनुसार, उक्त बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया है और ये बांड आवंटन की तारीख से 5 साल पूरे होने पर, 30 मार्च, 2021 को भुनाए गए है।

कंपनी ने खुदरा व्यापार के माध्यम से खुले बाजार में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के 1,22,71,211 इक्विटी शेयर बेचे। शेयर की कीमत उसके खरीद मूल्य से कई गुना अधिक थी और कंपनी ने 248.69 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। इक्विटी शेयरों की वास्तविक बिक्री के कारण निवेश की मान्यता रद्द करने के बाद, कंपनी ने इस अवधि के दौरान इक्विटी के भीतर ऐसे शेयरों पर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर दिया है।

कंपनी को पुनर्संरचना योजना के क्रियान्वयन के अनुसरण में अथवा आईबीसी के तहत इसकी उधारकर्ता कंपनियों या उनके प्रमोटरों की विभिन्न प्रतिभूतियां भी आवंटित की गई हैं। निवेश के विवरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखाओं के लिए टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 10 में दर्शाए गए हैं।

8. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास

आरईसी के पास केएफडबल्यू, जर्मनी के साथ ओडीए (शासकीय विकास सहायता) क्रेडिट की चार लाइनें हैं, उनमें से तीन को 31 मार्च, 2021 तक पूरी तरह से आहरित कर लिया गया है। केएफडबल्यू–I और केएफडबल्यू–II ओडीए क्रेडिट 70 मिलियन यूरो (लगभग प्रत्येक हैं क्रमशः 454.02 करोड़ रुपए और 480.97 करोड़ रुपए के हैं) तथा केएफडबल्यू–III यूरो 100 मिलियन (लगभग 753.73 करोड़ रुपए) का है। राजकोषीय वर्ष 2019 में, आरईसी ने 228 मिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता के लिए केएफडबल्यू के साथ चौथा ऋण समझौता किया था। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, इस सुविधा के तहत कुल 168.85 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि निकाली जा चुकी है।

उपरोक्त के अलावा, आरईसी के पास जेआईसीए, जापान के साथ ओडीए क्रेडिट की दो लाइनें हैं। उन दोनों को भी पूरी तरह से ले लिया गया है। जेआईसीए–I और II ओडीए ऋणों के तहत, 31 मार्च, 2021 तक क्रमशः 16,949.38 मिलियन जेपीवाई (लगभग 820.12 करोड़ रुपए) और 11,809.48 मिलियन जेपीवाई (लगभग 640.64 करोड़ रुपए) की संचयी राशि आहरित की गई है।

9. वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सरकारी कार्यक्रमों का कार्य–निष्पादन और उपलब्धियां

9.1 वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान भारत सरकार की 3 योजनाओं अर्थात डीडीयूजीजेवाई, जम्मू–कश्मीर के लिए पीएमडीपी–2015 और सौभाग्य के तहत कार्य–निष्पादन और उपलब्धिः

क. **संस्वीकृतिः** वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान जम्मू–कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र को डीडीयूजीजेवाई के तहत 480 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की गई है।

ख. **धनराशि जारी किया जानाः** भारत सरकार की सब्सिडी को आरईसी के माध्यम से अग्रसारित किया जाता है और संबंधित राज्य सरकार या कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अपने स्वयं के ऋण के माध्यम से इसी के समान योगदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान राज्यों को भारत सरकार द्वारा 4,940.62 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की गई है।

ग. **अवसंरचना सृजन की वास्तविक प्रगतिः** वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, भारत सरकार की 3 योजनाओं अर्थात जम्मू–कश्मीर के लिए पीएमडीपी–2015 और सौभाग्य के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को पूर्ण किया गया हैः

- i) वितरण ट्रांसफार्मरों की मीटरिंगः 61,994
- ii) फीडर पृथक्करण (नई 11 केवी लाइनों सहित): 30,668 सीकेएम
- iii) 11 केवी फीडरों की मीटरिंग (संख्या): 1360
- iv) सब–स्टेशनों की कमीशनिंग (संवर्धन सहित): 570

इसके अलावा, 2385 सीकेएम 33 केवी लाइनें संस्थापित की गई, 54,964 सीकेएम एलटी लाइनें संस्थापित की गई, 66,017 वितरण ट्रांसफार्मरों को चालू किया गया और 15,20,550 उपभोक्ता मीटर लगाए गए।

घ. **घरों के विद्युतीकरण की प्रगति :** वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, सौभाग्य के तहत 4.93 लाख घरों का विद्युतीकरण किया गया।

9.2 31 मार्च, 2021 तक संचयी कार्य–निष्पादन

क. **राशि की संस्वीकृति और उसे जारी किया जानाः** भारत सरकार की 3 योजनाओं अर्थात जम्मू–कश्मीर के लिए पीएमडीपी–2015 और सौभाग्य के तहत 31 मार्च, 2021 तक कुल मिलाकर 1,40,695 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है और 86,845.65 करोड़ का भारत सरकार का अनुदान कार्यान्वयन एजेंसियों को वितरित किया गया है।

ख. **अवसंरचना के सृजन की वास्तविक प्रगतिः** उपर्युक्त सरकारी कार्यक्रमों के तहत स्थापना के बाद से लेकर 31 मार्च, 2021 तक निम्नलिखित कार्यों को संचयी रूप से पूरा किया गया हैः

i) वितरण ट्रांसफार्मरों की मीटरिंगः 2,34,193

ii) फीडर पृथक्करण (नई 11 केवी लाइनों सहित): 7,88,978 सीकेएम

iii) 11 केवी फीडरों की मीटरिंग (संख्या): 14,021

iv) सब–स्टेशनों की कमीशनिंग (संवर्धन सहित): 7,098

इसके अलावा, 37,415 सीकेएम 33 केवी लाइनें संस्थापित की गईं, 12,99,767 सीकेएम एलटी लाइनें संस्थापित की गईं, 16,24,170 वितरण ट्रांसफार्मरों को चालू किया गया और 1,54,54,967 उपभोक्ता मीटर लगाए गए।

ग. **घरों के विद्युतीकरण की प्रगतिः** राज्यों और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रयासों से, 11 अक्टूबर, 2017 से लेकर 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के दौरान सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत 2.63 करोड़ घरों को बिजली के कनेक्शन प्रदान किए गए।

इसके अलावा, 7 राज्यों (असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) के अनुरोध पर, विद्युत मंत्रालय ने बिना बिजली वाले अतिरिक्त 19.09 लाख घरों को बिजली प्रदान करने के लिए समय विस्तार की मंजूरी दी, जो पहले विद्युतीकरण के लिए इच्छुक नहीं थे और मार्च 2019 से पहले उन्होंने इसके लिए अपनी इच्छा व्यक्त की थी। उसी के संबंध में, 18.85 लाख घरों का विद्युतीकरण किया गया है, जिनमें से 4.93 लाख घरों का वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान विद्युतीकरण किया गया था।

10. मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और अनुवीक्षण

आपकी कंपनी ने नियमित रूप से राज्य विद्युत यूटिलिटिज को वितरण प्रणाली में तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान की है। कंपनी द्वारा जारी तकनीकी विनिर्देशनों और निर्माण मानकों का राज्य बिजली यूटिलिटिज द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए कंपनी विद्युत वितरण के क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधान एवं विकास का उपयोग करते हुए लगातार नवाचारों का समर्थन कर रही है।

सरकारी कार्यक्रमों के गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के अनुरूप, ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान सामग्री और कार्यों की उचित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र और सामग्री निरीक्षण करने के लिए आरईसी गुणवत्ता मॉनिटर (आरक्यूएम) नियुक्त किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आरक्यूएम ने कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 21,547 गांवों, सब–स्टेशनों और फीडरों का क्षेत्र निरीक्षण किया है और निर्माता परिसर में 358 सामग्री निरीक्षण किए।

आरईसी ने राष्ट्रीय और आरईसी गुणवत्ता मॉनिटरों के गुणवत्ता निरीक्षणों के डिजिटलीकरण के लिए एक ऑनलाइन गुणवत्ता पोर्टल विकसित किया है। आरईसी ने आरक्यूएम एजेंसियों की टिप्पणियों को अपलोड करने और डिस्कॉम और कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अनुपालन के लिए मोबाइल ऐप "साक्ष्य"भी विकसित किया है।

11. जोखिम प्रबंधन

कंपनी में एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति विद्यमान है जो क्रेडिट जोखिम, प्रचालन जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम और बाजार जोखिम संबंधी मामलों को देखती है।

11.1 जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी के एकीकृत जोखिमों की निगरानी के लिए कंपनी में इसके निदेशकों की एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) विद्यमान है। आरएमसी का मुख्य कार्य विभिन्न जोखिमों की निगरानी करना और कंपनी के संचालन और उससे संबंधित अन्य मामलों में उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए की जाने वाले आवश्यक कार्रवाई का सुझाव देना है। इसके अलावा, जैसा कि आरबीआई के मानदंडों के तहत आवश्यक है, कंपनी ने एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) नियुक्त किया है।

कंपनी ने इसके विभिन्न जोखिमों की पहचान की है तथा उनका उपशमन करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए हैं। जोखिमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया हैः–

(i) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम वित्त–पोषण उद्योग में एक निहित जोखिम है और इसमें उधारकर्ता की क्रेडिट गुणवत्ता में कमी से उत्पन्न होने वाली हानि का जोखिम और ऐसा जोखिम शामिल है कि उधारकर्ता किसी ऋण या अग्रिम के तहत संविदात्मक पुनर्भुगतान के मामले में चूक करेगा। इसे कम करने के लिए, क्रेडिट जोखिम का आकलन करने के लिए कंपनी एक व्यवस्थित संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन करती है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन पद्धति, जोखिमों और उपयुक्त संरचना की पहचान तथा ऋण जोखिम कम करने के उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, ईसीएल प्रविधि के आधार पर परिसंपत्ति वर्गीकरण के अनुसार नियमित आधार पर आरईसी लोन बुक को उच्च, मध्यम या निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) प्रचालनात्मक जोखिम

परिचालन जोखिम अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, व्यक्तियों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से उत्पन्न होता है। कंपनी ने एक व्यापक जोखिम रजिस्टर क्रियान्वित किया है जिसके माध्यम से सभी परिचालन जोखिमों को मापा जाता है और उन्हें उच्च, मध्यम या निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी के परिचालन जोखिमों का अध्ययन व्यवसाय, अनुपालन, वित्त, मानव संसाधन, साइबर सुरक्षा, विधि, प्रचालन और रणनीतिक जैसे सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में किया जाता है।

(iii) लिक्विडिटी जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम मुख्य रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों से जुड़ी परिपक्वता बेमेल के कारण उत्पन्न होता है। लिक्विडिटी जोखिम में कंपनी की परिसंपत्तियों में वृद्धि को वित्त–पोषित करने, वित्त पोषण स्रोतों में अनियोजित परिवर्तनों का प्रबंधन करने और आवश्यकता पड़ने पर दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता शामिल है।

(iv) बाजार जोखिम

कंपनी के बाजार जोखिम को बाजार की गतिशीलता में परिवर्तन होने के रूप में परिभाषित किया गया है जैसे ब्याज दर या प्रतिभूतियों की कीमतों, विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव के कारण कंपनी की आय और पूंजी के लिए जोखिम ।

11.2 एएलसीओ समिति

बाजार जोखिम का प्रबंधन करने के लिए, कंपनी ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का गठन किया है और इसमें इसके सदस्यों के रूप में निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी), कार्यपालक निदेशक और वित्त और परिचालन प्रभागों के मुख्य महाप्रबंधक शामिल हैं।

एएलसीओ ब्याज दरों, लिक्विडिटी और मुद्रा दरों से संबंधित जोखिमों की निगरानी करती है। जोखिमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

(i) **ब्याज दर जोखिम:** ब्याज दर जोखिम बाजार की ब्याज दरों में उतार–चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली संभावित हानि है। ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए आपकी कंपनी समय–समय पर प्रचलित बाजार दरों के आधार पर अपनी उधार दरों और उधार की भारित औसत लागत की समीक्षा करती है।

(ii) **लिक्विडिटी जोखिम:** लिक्विडिटी जोखिम देनदारियों को पूरा करने में संभावित अक्षमता का जोखिम है क्योंकि वे देय हो जाती हैं। कंपनी को लिक्विडिटी जोखिम का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए उसे प्रतिकूल शर्तों पर धन जुटाने या परिसंपत्तियों को समाप्त करने की आवश्यकता हो सकती है। कंपनी अनुमानित संवितरण और परिपक्व दायित्वों के आधार पर भविष्योन्मुखी संसाधन जुटाने सहित रणनीतियों के मिश्रण के माध्यम से लिक्विडिटी जोखिम का प्रबंधन करती है।

आपकी कंपनी कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण अपनी लिक्विडिटी की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने और आरबीआई द्वारा 31 अगस्त, 2020 तक ऋणों की स्थगन योजना के परिणामस्वरूप, अपनी मजबूत बाजार विश्वसनीयता और उधार के विभिन्न स्रोतों अर्थात संस्थागत बांड, ईसीबी और बैंक ऋण आदि के माध्यम से बाजार में व्यापक पहुंच बनाकर धन की व्यवस्था करते हुए नकारात्मक प्रभाव को कम करने में सक्षम रही है।

(iii) **विदेशी मुद्रा जोखिम:** विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम में मुद्राओं के बीच विनिमय दर में उतार–चढ़ाव शामिल होता है जो विदेशी मुद्रा–वर्णित परिसंपत्तियों, देनदारियों और ऑफ–बैलेंस शीट व्यवस्थाओं के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। कंपनी विभिन्न व्युत्पन्न लिखतों के माध्यम से विनिमय दर और ब्याज दर से जुड़े विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करती है।

12. अधिमानित ग्राहक नीति

कंपनी की व्यवसाय प्रोत्साहन रणनीति के एक भाग के रूप में ग्राहकों को सेवाओं के उन्नत स्तर की पेशकश करने और उनके साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद दीर्घकालिक संबंध रखने के मूल उद्देश्य के साथ वर्ष 2008 में एक 'अधिमानित ग्राहक नीति' तैयार की गई थी। नीति पात्रता मानदंड निर्धारित करती है, जो अधिमानित ग्राहकों को निर्धारित करने और उन्हें क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न बाहरी एजेंसियों और साथ ही हैदराबाद स्थित आरईसी के आतंरिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में उन्हें प्रायोजित करने के लिए विभिन्न कारकों को ध्यान में रखती है जैसे ऋण की बकाया राशि, ऋण संबंध की अवधि, उधारकर्ता के पुनर्भुगतान का ट्रैक रिकॉर्ड आदि।

13. सूचना प्रौद्योगिकी पहलें

आपकी कंपनी ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक पहलें की हैं। इसने अपने ई–बिजनेस ईआरपी का नवीनतम संस्करण तैयार किया है और आरईसी डाटासेंटर में ईआरपी हार्डवेयर को निजी क्लाउड परिवेश में स्थानांतरित कर दिया है। नया ईआरपी जीएसटी और नवीनतम लेखा मानकों (इंड–एएस) का समर्थन करता है और इसमें व्यावसायिक प्रक्रियाओं को और अधिक स्वचालित बनाने की सुविधा प्रदान करने के लिए उन्नत सुविधाएं मौजूद हैं। कंपनी के पास स्वचालित वर्कफ्लो और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रबंधन सुविधाओं के साथ ई–ऑफिस प्रणाली भी है, जिसने संचालन की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार किया है और कागज के उपयोग को पर्याप्त रूप से कम किया है।

कंपनी ने नवीनतम नेटवर्क और सुरक्षा उपकरणों, उन्नत बैंडविड्थ और उच्च उपलब्धता विशेषताओं के साथ अपने संगठन के व्यापक एमपीएलएस वीपीएन नेटवर्क बुनियादी ढांचे की सुविधा को पूरी तरह से नया रूप प्रदान कर दिया है। एक सुरक्षित वीपीएन नेटवर्क ने उपयोगकर्ताओं को निर्बाध संचालन के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों तक पहुंच बनाने के लिए दूरस्थ स्थानों से आरईसी नेटवर्क से जुड़ने की सुविधा प्रदान की है। कंपनी के सभी कार्यालयों में बैठकों/चर्चाओं की व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए आरईसी के वीसी सिस्टम को नया रूप दिया गया है। वीसी सुविधा का उपयोग एमओपी और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के साथ बैठकों के लिए और कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के बोर्ड और समिति की बैठकों के लिए भी किया जाता है।

आरईसी के प्राइमरी डाटा सेंटर (पीडीसी) और आपदा रिकवरी सेंटर (डीआरसी) आईएसओ/आईईसी 27001:2013 प्रमाणित हैं और भारत सरकार की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का भी अनुपालन करते हैं। कॉर्पोरेट नेटवर्क के बाहर गोपनीय और महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किए जाने से रोकने के लिए आरईसी ने डीसी और डीआरसी में डेटा लीकेज एंड प्रिवेंशन (डीएलपी) सिस्टम भी क्रियान्वित किया है। आरईसी ने एनबीएफसी के लिए आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन ऑफ आईटी फ्रेमवर्क के आईटी सुरक्षा निर्देशों को भी लागू किया है।

आरईसी ने बेहतर ई–गवर्नेंस प्राप्त करने की दिशा में अपनी आईटी पहल के भाग के रूप में कई आंतरिक विकसित प्रणालियों को लागू किया है। हरित पहल और कागजरहित परिवेश की दिशा में, कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में केंद्रीयकृत स्कैनिंग समाधान लागू किया गया है। आरईसी कंपनी के भीतर भारत सरकार की आईटी पहलों को सुगम बनाता है और उन्हें बढ़ावा देता है, जैसे माईगवर्नमेंट, ई–गवर्नेंस, भुगतान के डिजिटल मोड पर डीपीई दिशा–निर्देश आदि।

14. आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी)

हैदराबाद, तेलंगाना में आरईसी लिमिटेड के तत्वावधान में 1979 में स्थापित आरईसी विद्युत प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान (आरईसीआईपीएमटी) विद्युत क्षेत्र के संगठनों के इंजीनियरों और प्रबंधकों के प्रशिक्षण और विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए विद्युत क्षेत्र का एक अग्रणी प्रशिक्षण संस्थान है। पिछले चार दशकों के दौरान, आरईसीआईपीएमटी ने 2,573 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है और विद्युत यूटिलिटिज जैसे उत्पादन, पारेषण और वितरण कंपनियों, बिजली विभागों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, बिजली नियामक आयोगों आदि के 56,113 इंजीनियरों/प्रबंधकों को प्रशिक्षित किया है।

आरईसीआईपीएमटी भी अंतरराष्ट्रीय विद्युत क्षेत्र संगठनों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार के साथ एक भागीदार प्रशिक्षण संस्थान है। अब तक, आरईसीआईपीएमटी ने ऐसे 102 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है और 98 देशों के 1,683 कार्यपालकों को प्रशिक्षित किया है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि 4 से 12 सप्ताह तक होती है।

14.1 विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनटीपी)

विद्युत मंत्रालय द्वारा डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत प्रायोजित विद्युत वितरण कंपनियों के ग और घ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समन्वय और कार्यान्वयन के लिए आरईसीआईपीएमटी नोडल एजेंसी है। पूरे भारत में व्याप्त कोविड–19 महामारी के बावजूद, आरईसीआईपीएमटी ने डिस्कॉम और उनके प्रशिक्षण संस्थानों के साथ 34 समझौता ज्ञापनों पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किए हैं और वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान देश भर में कुल 1,128 प्रशिक्षण बैचों में 25,869 प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण को पूरा किया है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि 1,035 प्रशिक्षण बैच डिस्कॉम द्वारा आयोजित किए गए थे, जबकि 93 प्रशिक्षण बैचों का आयोजन डिस्कॉम के अनुरोध पर आरईसीआईपीएमटी की सहायता द्वारा किया गया था।

14.2 आरईसी प्रायोजित कार्यक्रम

कोविड–19 महामारी की स्थिति के दौरान प्रशिक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विद्युत केंद्रों के अधिकारियों के मध्य जागरूकता का सृजन करने के लिए, आरईसीआईपीएमटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान अखिल भारतीय भागीदारी के साथ निम्नलिखित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क आयोजित किए गए:

क. विद्युत सुरक्षा पर आरईसी द्वारा प्रायोजित 3–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

चूंकि देश में विद्युत केंद्रों की प्रमुख चिंता का विषय सुरक्षा है, आरईसी ने "विद्युत सुरक्षा" पर 50 प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किए। इनके तहत, आरईसीआईपीएमटी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न केंद्रों से कुल 1,271 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया। कार्यक्रमों में एमएसईडीसीएल, एपीसीपीडीसीएल, एमपीपीएकेवीवीसीएल, पीएसपीसीएल, एमएसपीजीसीएल, सिक्किम पीडीडी, सीईएसएएस सिर्किला, केएसईबीएल, बीएसपीटीसीएल, जीईटीआरआई, ओपीटीसीएल, टीएसईसीएल, एचपीटीआई और जीआरआईडीसीओ के इंजीनियरों ने भागीदारी की।

ख. विद्युत केंद्रों की संधारणीयता पर आरईसी प्रायोजित एक–दिवसीय वेबिनार

आरईसीआईपीएमटी ने विद्युत अधिनियम में संशोधन, टैरिफ सुधार, वास्तविक समय बाजार और नवीकरणीय एकीकरण जैसे विषयों को कवर करते हुए "बिजली यूटिलिटिज की संधारणीयता" पर एक–दिवसीय वेबिनार के 60 बैचों का आयोजन किया। इनके तहत, आरईसीआईपीएमटी ने विद्युत क्षेत्र की कंपनियों अर्थात जेनकोस, ट्रांसको और डिस्कॉम के 1,238 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया।

जिन प्रमुख केंद्रों ने इनमें भाग लिया उनमें शामिल थे – जेकेपीडीडी, एचपीपीसीएल, पीटीसीयूएल, एमईईसीएल, एमएसईडीसीएल, एनएलसीआईएल, टीएसएसपीडीसीएल, एमपीपीओकेवीवीसीएल, पीएसपीसीएल, एमएसपीजीसीएल, सिक्किम पीडीडी, सीईएसएस सिर्किला, केएसईबीएल, बीएसपीटीसीएल, जीईटीआरआई, ओपीटीसीएल, टीएसईसीएल, एचपीटीआई और ग्रिडको।

ग. आरईसी द्वारा प्रायोजित जागरूकता वेबिनार

आरईसी ने "सुरक्षा पहलू और ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली" पर वेबिनार भी आयोजित किया, जिसमें विद्युत क्षेत्र के 44 कार्यपालकों ने भाग लिया; और "रूफ टॉप सोलर सिस्टम" पर भी वेबिनार आयोजित किया, जिसमें 22 कार्यपालकों ने भाग लिया।

14.3 विद्युत यूटिलिटिज के लिए ओपन कैलेण्डर कार्यक्रम

कोविड–19 महामारी की स्थिति के दौरान, जैसे ही भारत सरकार ने प्रशिक्षण क्रियाकलापों को संचालित करने की अनुमति दी, वेबिनार के रूप में वर्चुअल या ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षण की घोषणा की गई। कोविड–19 की गंभीरता के बावजूद, आरईसीआईपीएमटी ने सौर ऊर्जा उत्पादन, आपदा प्रबंधन, वितरण ट्रांसफार्मर, श्रम कानून, सब–स्टेशनों के ओएंडएम और स्मार्ट मीटर जैसे विभिन्न विषयों पर वेबिनार के रूप में 6 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इन वेबिनार में कुल 103 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

14.4 आरईसी कार्यपालक (आतंरिक) प्रशिक्षण कार्यक्रम

आरईसीआईपीएमटी ने आरईसी के कार्यपालकों के लिए विभिन्न विषयों पर जैसे नेतृत्व और संचार कौशल, ऋण दस्तावेज और सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल पर 4 आतंरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें वर्ष के दौरान 131 आरईसी कार्यपालकों को प्रशिक्षित किया गया।

14.5 वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित कुल प्रशिक्षण कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आरईसीआईपीएमटी ने कुल 1,250 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें कुल 82,420 प्रशिक्षण मानव–दिवस की उपलब्धि हासिल करने के साथ–साथ 28,678 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें शामिल हैं – 1,128 राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें 25,869 प्रतिभागियों ने भाग लिया और 76,956 मानव–दिवस का प्रशिक्षण प्राप्त किया, विद्युत यूटिलिटिज के लिए 112 आरईसी–प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें 2,575 प्रतिभागियों ने भाग लिया और 5,099 मानव–दिवस का प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा 10 अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमे 234 प्रतिभागियों ने भाग लिया और 365 मानव दिवस का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

15. आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणीकरण

कंपनी ने दावों के प्रसंस्करण के लिए देश भर में कॉर्पोरेट कार्यालय के छह प्रमुख प्रभागों और 18 क्षेत्रीय और राज्य कार्यालयों में आईएसओ 9001:2015 मानकों के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लागू की है।

16. मानव संसाधन प्रबंधन

कंपनी के मौजूदा जनशक्ति पूल में नए पेशेवरों को शामिल करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी में कैंपस भर्ती के माध्यम से 9 अधिकारियों को शामिल किया गया था। 31 मार्च, 2021 को कंपनी की कुल जनशक्ति 428 कर्मचारियों की थी, जिसमें 366 कार्यकारी और 62 गैर–कार्यकारी कार्मिक शामिल थे।

16.1 नियोजन में आरक्षण

विभिन्न पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया गया। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कुल कार्मिक संख्या में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का समूहवार विवरण निम्नानुसार था:

समूह	कर्मचारियों की संख्या							
	कुल		अ.जा.		अ.ज.जा.		ओ.बी.सी.	
	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2019–20
क	366	385	40	43	16	17	72	70
ख	22	36	03	05	–	–	1	2
ग	40	47	15	16	–	1	3	3
कुल	428	468	58	64	16	18	76	75

16.2 प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

हमारे कर्मचारियों की कौशल–संबंधी योग्यताओं का उन्नयन करने के साथ–साथ उत्पादकता का उच्च स्तर सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता प्रदान किया जाना जारी रहा। वर्तमान कोविड–19 महामारी के कारण, कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। महामारी के दौरान जीवन शैली के प्रबंधन पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कर्मचारियों को उनके कार्य–निष्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए हर संभव अवसर और सहायता प्रदान की गई। उनके पेशेवर ज्ञान को बढ़ाने और उसका उन्नयन करने के लिए और साथ ही कर्मचारियों को उस सामाजिक–आर्थिक वातावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए जिसमें कंपनी संचालित होती है, उन्हें अपेक्षित प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। इसके अलावा, कर्मचारियों को ऐसे प्रशिक्षण भी प्रदान किए गए जिनका उद्देश्य उनके आध्यात्मिक विकास और व्यावहारिक विकास में मदद करना था।

कर्मचारियों को पेशेवर रूप से सक्षम बनाने के लिए, 179 कर्मचारियों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में भाग लिया है। इन हस्तक्षेपों के फलस्वरूप कंपनी 329 प्रशिक्षण मानव–दिवस का लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम हुई। कोविड–19 महामारी के कारण, किसी भी कार्यकारी को विदेशी प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा गया।

16.3 कर्मचारी कल्याण

कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए, स्थल पर चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के लिए अंशकालिक डॉक्टरों की सेवाएं ली गई थीं। कंपनी खेल और मनोरंजन कार्यक्रमों के साथ–साथ कर्मचारियों की कुशलता के लिए उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों का भी वित्त–पोषण करती रही है।

खेल क्रियाकलाप

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आरईसी ने देहरादून में इंटर–सीपीएसयू कैरम टूर्नामेंट की मेजबानी की और पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड (पीएससीबी) के तत्वावधान में विद्युत क्षेत्र के सीपीएसयू द्वारा आयोजित टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, शतरंज आदि में विभिन्न अंतर–सीपीएसयू खेल टूर्नामेंटों में अपने कर्मचारियों की भागीदारी को प्रायोजित किया। कर्मचारियों को विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित प्रश्नोत्तरी, पत्र प्रस्तुतियों और अनुकरण प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

विद्युत सेक्टर सीपीएसई के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया

16.4 महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कंपनी में 70 स्थायी महिला कर्मचारी थीं, जो कुल कार्यबल का 16.36% प्रतिनिधित्व करती हैं। लिंग के आधार पर कर्मचारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। महिला कर्मचारियों के कल्याण और उनके सर्वांगीण विकास को देखने के लिए कंपनी में एक महिला प्रकोष्ठ कार्यरत है। आरईसी ने 8 मार्च, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया।

16.5 औद्योगिक संबंध

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कंपनी का औद्योगिक संबंध परिदृश्य सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बना रहा। औद्योगिक असंतोष के कारण मानव–दिवस का कोई नुकसान नहीं हुआ। कर्मचारी कल्याण के मुद्दों पर आरईसी कर्मचारी संघ और आरईसी अधिकारी संघ के साथ नियमित रूप से बातचीत की गई। इसने विश्वास और सहयोग का वातावरण का निर्माण करने में मदद की है, जिसके परिणामस्वरूप कार्यबल प्रेरित हुआ है और व्यवसाय के प्रदर्शन में निरंतर सुधार आया है।

16.6 शिकायत निवारण

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने अपने कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है।

इसके अलावा, आपकी कंपनी के पास जनता की शिकायतों का व्यापक रूप से निपटान करने के लिए एक लोक शिकायत निवारण प्रणाली भी विद्यमान है। कंपनी ने निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के लिए इस प्रयोजनार्थ एक वरिष्ठ अधिकारी को अध्यक्ष, लोक शिकायत के रूप में नियुक्त किया है।

17. कार्पोरेट सामाजिक दायित्व और सतत् विकास

आरईसी की कॉरपोरेट सामजिक दायित्व एवं सतत विकास (सीएसआर एंड एसडी) पहल का उद्देश्य एक मार्गदर्शक–सिद्धांत के रूप में सामाजिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं को निधियां प्रदान करना और उन्हें समर्थन देना, राष्ट्रीय विकास एजेंडे में शामिल सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राथमिकता देना और लाभार्थियों के व्यापक वर्ग तक पहुंचना है ताकि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों को सशक्त बनाया जा सके। आरईसी द्वारा समावेशी सामाजिक विकास को सुगम बनाने के लिए साफ–सफाई और स्वच्छता सुविधाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरणीय संधारणीयता और ग्रामीण ढांचागत विकास के क्षेत्रों में सीएसआर पहलें संचालित की गई हैं।

गुरुग्राम, हरियाणा के आस–पास रह रहे प्रवासी कामगारों के बच्चों को विशेष मोबाइल बस के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए 'स्कूल आपके द्वार' आरईसी की एक अनूठी सीएसआर पहल

कंपनी की 'कॉर्पोरेट सामजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीय नीति' कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ संरेखित है। कंपनी, सोसाइटीज अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी 'आरईसी फाउंडेशन' के माध्यम से अपनी सीएसआर गतिविधियों को क्रियान्वित करती है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए, बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप 144.32 करोड़ रुपए के सीएसआर बजट को मंजूरी दी। इसकी तुलना में, कंपनी ने विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं पर वर्ष के दौरान कुल 147.77 करोड़ रुपए का व्यय किया। इसमें पीएम केयर्स फंड के लिए 50 करोड़ रुपए, प्रवासी कामगारों, स्वास्थ्य कर्मियों और गरीब व्यक्तियों को भोजन, राशन, सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट आदि उपलब्ध कराने के लिए 6.93 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल, नागालैंड और दादरा और नगर हवेली में कोविड–19 टीकों के भंडारण के लिए कोल्ड चेन उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 0.72 करोड़ रुपए शामिल हैं।

डीपीई ने वर्ष 2020–21 के लिए अधिमानतः आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य और पोषण के विषयगत क्षेत्रों पर सीएसआर बजट का 60% खर्च करने के लिए सीपीएसई को दिशानिर्देश जारी किए हैं। कंपनी ने विभिन्न आकांक्षी जिलों में उपरोक्त विषयगत क्षेत्रों में कल्याण कार्यों का समर्थन करने के लिए अपने प्रयासों को और अधिक व्यापक बनाया है। कंपनी गजपति (ओडिशा), मामित (मिजोरम), किफिरे (नागालैंड), मुजफ्फरपुर (बिहार), उधम सिंह नगर (उत्तराखंड), चंदिल (मणिपुर) और पश्चिम सिक्किम (सिक्किम) जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने और वहां कुपोषण को कम करने के उद्देश्य से सीएसआर परियोजनाओं के संचालन के लिए प्रतिबद्ध है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सीएसआर क्रियाकलापों पर विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट को इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग बनाया गया है, जिसमें विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के संबंध में कंपनी द्वारा किए गए प्रभाव मूल्यांकन के विवरण शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी की सीएसआर और स्थिरता नीति https://www.recindia.nic.in/our-csr-initiatives पर उपलब्ध है।

18. सतर्कता क्रियाकलाप

आरईसी कर्मचारियों के मध्य सत्यनिष्ठा और एकता की भावना को इष्टतम बनाने और सभी परिचालन क्षेत्रों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देने का निरंतर प्रयास करता है। आरईसी के सतर्कता विभाग का मुख्य उद्देश्य नीतियों की समीक्षा, संवेदनशील पदों पर आसीन कर्मचारियों के रोटेशन और स्थानांतरण, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा, परियोजनाओं की समीक्षा, निविदाओं और अनुबंधों की समीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण, वार्षिक संपत्ति विवरणी (एपीआर) की समीक्षा करने, आदि के माध्यम से 'निवारक सतर्कता' हासिल करना है।

इस संबंध में, निम्नलिखित प्रमुध क्रियाकलाप संचालित किए गए हैं:

- सीवीसी/एमओपी के निर्देशों के अनुपालन में, चिह्नित संवेदनशील पदों से चक्रानुसार स्थानांतरण के मामले पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है.
- सीवीसी और एमओपी को निर्धारित आवधिक सांख्यिकीय विवरणी समय पर भेजना।
- लेखापरीक्षा रिपोर्टों की नियमित समीक्षा अर्थात आंतरिक, सांविधिक तथा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टें।
- प्रदान की गई परियोजनाओं, निविदाओं और अनुबंधों की समीक्षा। जहां कहीं भी विचलन पाया गया, मामले को संबंधित प्रभागों के साथ उठाया गया, जिससे मूल्यांकन प्रणाली और दिशानिर्देशों को और सुदृढ़ बनाया गया।
- प्रादेशिक कार्यालयों का क्षेत्र निरीक्षण और एपीआर की संवीक्षा।
- विधि परामर्शक और ऋणदाता के विधिक सलाहकार की चयन प्रक्रिया की समीक्षा।
- संसाधन जुटाने के एक मामले की समीक्षा।
- आरईसी द्वारा वित्त–पोषित परियोजनाओं के क्षेत्र निरीक्षण।
- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर जोर जारी रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप ऋणों, योजनाओं, निविदाओं, तीसरे पक्षकार के बिलों आदि से संबंधित जानकारी ऑनलाइन प्राप्त होती है।
- त्रुटियों का समय पर पता लगाने और उनकी घटनाओं को कम करने के लिए सतर्कता निगरानी प्रणाली विकसित की गई है, जिसमें संगठन की विभिन्न कार्यात्मकताएं शामिल हैं जैसे खरीद और अनुबंध, बिल ट्रैकिंग, ऋण, परिसंपत्ति और कर्मचारी भुगतान (चिकित्सा और यात्रा)।
- यह सुनिश्चित किया गया था कि विभिन्न जानकारियां और नीतियां जैसे निविदाएं, अपेक्षित प्रपत्र, ऋण आवेदनों की स्थिति और तीसरे पक्षकार के भुगतान, उचित संव्यवहार संहिता, धोखाधड़ी नीति की रोकथाम, सीएसआर दिशानिर्देश, सूचना प्रदाता नीति आदि आरईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

विद्युत मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, 2 लाख रुपए से अधिक की लगभग सभी निविदाओं का प्रक्रमण ई–प्रोक्योरमेंट मोड के माध्यम से किया गया था। उन मामलों में ई–रिवर्स नीलामी भी प्रक्रियाधीन है, जहां खरीद का अनुमानित मूल्य और उद्धृत मूल्य कुछ मापदंडों से अधिक है।

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, आरईसी में कोई अनुशासनिक मामला लंबित नहीं था।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

आरईसी ने 27 अक्तूबर, 2020 से 2 नवंबर, 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। इस सप्ताह के दौरान, आरईसी ने सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई और अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए नारा लेखन, ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी, निबंध लेखन, कविता पाठ और चित्रकला प्रतियोगिताओं के साथ–साथ मास्क डिजाइनिंग जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित कीं। आरईसी ने अपने कर्मचारियों के लिए 28 अक्तूबर, 2020 को "अनुबंध प्रबंधन" पर एक अर्ध–दिवसीय कार्यशाला/वेबिनार का भी आयोजन किया। इसके अलावा, आरईसी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और अनुषंगी कंपनियों में सतर्कता जागरूकता क्रियाकलापों का भी आयोजन किया गया।

इसके अलावा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2020 के आयोजन के दौरान आरईसी में संचालित किए गए क्रियाकलापों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में सीवीसी को भेजी गई थी।

इसके अतिरिक्त, आरईसी ने "सत्यनिष्ठा क्लब" के माध्यम से युवा स्कूली बच्चों को सतर्क नागरिकों के रूप में तैयार करने का अपना प्रयास जारी रखा, जिसमें अब पूरे भारत में 32 स्कूलों में खुल चुके हैं, जिसमें 1600 छात्र शामिल हैं।

19. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार, शासकीय कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कंपनी द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

डॉ. सुमीत जैरथ, आईएएस, सचिव (राजभाषा) (बिल्कुल दाएं) राजभाषा गोष्ठी के दौरान आरईसी के अधिकारियों को संबोधित करते हुए

कंपनी के कर्मचारियों के मध्य हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय में 1 सितंबर, 2020 से 30 सितंबर, 2020 के दौरान 'हिंदी माह' का आयोजन किया गया, जिसमें *हिंदी कविता लेखन, हिंदी यात्रा–वृत्तांत लेखन, हिंदी निबंध लेखन, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, हिंदी सिनेमा प्रश्नोत्तरी, खेल प्रश्नोत्तरी* जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन सभी आयोजनों और प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों की भागीदारी उत्साहजनक रही। कर्मचारियों को उनके दैनिक कार्य में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के प्रयोजनार्थ विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। आरईसीआईपीएमटी सहित कंपनी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य कार्यालयों में 'हिंदी पखवाड़ा' भी आयोजित किया गया था, ताकि प्रतिभागियों को उनके शासकीय कार्य के निर्वहन में हिंदी का प्रयोग करने में व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जा सके।

संसदीय राजभाषा समिति ने 3 अक्तूबर, 2020, 6 जनवरी, 2021 और 11 जनवरी, 2021 को आरईसी के क्रमशः नई दिल्ली, मुंबई और भुवनेश्वर स्थित कार्यालयों का सफलतापूर्वक निरीक्षण किया। इन निरीक्षणों के फलस्वरूप कर्मचारियों में अपने सरकारी काम–काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए जागरूकता की भावना पैदा की है।

21 जनवरी, 2021 को नई दिल्ली में *राजभाषा गोष्ठी* का आयोजन किया गया, जिसमें सचिव (राजभाषा) ने *'राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन में बारह–प्र की भूमिका'* पर दिए गए अपने संबोधन के माध्यम से कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेरित किया और कंपनी के शासकीय कार्य में हिंदी के प्रयोग की भी समीक्षा की।

1 मार्च, 2021 को *कंठस्थ* (ट्रांसलेशन मैमोरी) पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई थी। क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वारा 12 मार्च, 2021 को जयपुर स्थित इसकी नराकास (पीएसयू) के तत्वावधान में एक अंतर–पीएसयू *हिंदी आशु भाषण* प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। आपकी कंपनी हिन्दी पत्रिका *'ऊर्जायन'* का प्रकाशन करती रही है जिसमें रोचक और उपयोगी लेखों के साथ–साथ कर्मचारियों की साहित्यिक रचनाओं को प्रकाशित किया जाता है। पत्रिका के लिए हिंदी में संस्मरण, लेख, कविता आदि लिखने को प्रेरित करने के लिए, कंपनी ने पुरस्कार और प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई है।

20. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्प्रवाह के बारे में विवरण

20.1 ऊर्जा संरक्षण

आपकी कंपनी के पास कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में स्कोप कॉम्प्लेक्स में स्थित है, जहां समस्त सिविल कार्य, विद्युत संस्थापना और रख–रखाव स्कोप (स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज) द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, स्कोप ने प्रभावी निगरानी, एसी चिलिंग यूनिटों और लिफ्टों के संचालन और नियंत्रण, छत पर अन्य ऊर्जा कुशल उपकरणों जैसे 100 किलोवाट और 10 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र का उपयोग करके तथा संचलन/अधिभोग सेंसर का प्रयोग करने के साथ–साथ पावर फैक्टर को यूनिटी के समीप रखते हुए लगभग 15.48 लाख यूनिट ऊर्जा की बचत की है। इसके परिणामस्वरूप लगभग 1.89 करोड़ रुपए की वित्तीय बचत हुई।

आरईसी ने हाल ही में गुरुग्राम, हरियाणा में अपने नए कार्यालय भवन से काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें इसका कॉर्पोरेट कार्यालय स्थित है। इस भवन की परिकल्पना अद्वितीय विशेषताओं के साथ जीआरआईएचए–5 स्टार रेटेड नेट जीरो भवन के रूप में की गई है। भवन को नेट जीरो बनाने के लिए, इसकी छत पर एक 964 केडब्ल्यूपी क्षमता का सौर संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसे सौर पेर्गोला संरचना द्वारा सहयोग दिया गया है ताकि भार की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। इसके अलावा, पहले वर्ष में 16.7 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करने के लिए अत्यधिक कुशल सौर पैनल (दक्षता> 21%) स्थापित किए गए हैं। ऊर्जा संरक्षण के प्रयोजन के लिए, भवन का डिजाइन ऊर्जा कुशल अग्रभाग और रेडिएंट कूलिंग स्लैब का उपयोग करते हुए तैयार किया गया है और इसी के अनुसार भवन का निर्माण किया गया है, जिससे एचवीएसी लोड आवश्यकता को लगभग 30% कम किया जा सके।

20.2 विदेशी मुद्रा अर्जन और बहिर्प्रवाह

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी को कोई विदेशी मुद्रा अर्जन नहीं हुआ। इसके अलावा, वर्ष के दौरान ब्याज, मूलधन पुनर्भुगतान, वित्त प्रभारों और अन्य व्ययों के कारण कुल 12,158.78 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा बहिर्प्रवाह किया गया।

21. अनुषंगी कंपनियां

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आरईसी के पास दो पूर्णतः स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां थीं, अर्थात आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (जिसका बाद में नाम बदल कर 16 जुलाई, 2021 से आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड कर दिया गया था) ("आरईसीपीडीसीएल") [सीआईएनः U40101DL2007GOI165779] और आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) [सीआईएनः U40101DL2007GOI157558]।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 के तहत आरईसीटीपीसीएल (हस्तांतरणकर्ता कंपनी) के साथ आरईसीपीडीसीएल (हस्तांतरिती कंपनी) के आमेलन की व्यवस्था की योजना के अनुसरण में, जिसे कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा दिनांक 5 फरवरी, 2021 के आदेश द्वारा अनुमोदित किया गया था, आरईसीटीपीसीएल 1 अप्रैल, 2020 की नियत तारीख और 6 फरवरी, 2021 की प्रभावी तारीख के साथ आरईसीपीडीसीएल में आमेलित हो गया है।

आमेलन का उद्देश्य उक्त दो कंपनियों को एक एकल इकाई में विलयित करना था, ताकि संचालन में बेहतर तालमेल हासिल किया जा सके, विभिन्न बाजार क्षेत्रों तक अधिक पहुंच बन सके और उच्चतर पूंजी आधार एवं संचयित संसाधनों का लाभों का दोहन किया जा सके। आमेलन के अनुसरण में, आरईसीटीपीसीएल की समस्त परिसंपत्तियां और दायित्व आरईसीपीडीसीएल में स्थानांतरित हो गई हैं। इसके अलावा, आमेलन के अनुसरण में, आरईसीपीडीसीएल ने आरईसी द्वारा तत्कालीन आरईसीटीपीसीएल में धारित 10/– रुपए प्रत्येक के 50,000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के बदले कंपनी को 10/– रुपए प्रत्येक के 35,500 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। इसलिए, 31 मार्च, 2021 तक, आरईसी के पास आरईसीपीडीसीएल में 10/– रुपए प्रत्येक के कुल 85,500 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर विद्यमान हैं।

आरईसीपीडीसीएल विद्युत क्षेत्र में परियोजना कार्यान्वयन और परामर्श सेवाओं के व्यवसाय में कार्य कर रहा है अर्थात वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण कार्यों का कार्यान्वयन, ग्रिड/ऑफ–ग्रिड सौर (पीवी) परियोजनाओं का कार्यान्वयन, स्मार्ट मीटरों का कार्यान्वयन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, तृतीय पक्ष निरीक्षण, पूर्व–प्रेषण सामग्री निरीक्षण और राज्य द्वारा वित्त–पोषित योजनाओं जैसे डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस आदि की कतिपय परियोजनाओं के तहत परियोजना प्रबंधन सलाहकार/परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में कार्य करना।

इसके अलावा, आमेलन के अनुसरण में, आरईसीपीडीसीएल विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट की गई स्वतंत्र अंतर–राज्यीय और अंतरा–राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए "बोली प्रक्रिया समन्वयक" के रूप में भी कार्य करता है। प्रत्येक स्वतंत्र अंतर–राज्यीय/अंतरा–राज्यीय पारेषण परियोजना के विकास को आरंभ करने के लिए, आरईसीपीडीसीएल अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी के रूप में एक परियोजना विशिष्ट विशेष प्रयोजन व्हीकल (एसपीवी) को समाविष्ट करता है, जो आरईसी की अनुषंगी कंपनी भी बन जाती है। टीबीसीबी दिशानिर्देशों के अनुरूप सफल बोलीदाता के चयन के बाद, ऐसी अनुषंगी कंपनियों को आरईसीपीडीसीएल द्वारा सभी परिसंपत्तियों और दायित्वों के साथ सफल बोलीदाता को स्थानांतरित कर दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आरईसीपीडीसीएल ने 1 परियोजना विशिष्ट एसपीवी अर्थात् रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड [सीआईएनः U40300DL2020GOI365214] को चुने गए बोलीदाता, अर्थात पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, आरईसीपीडीसीएल के पास विभिन्न अंतर–राज्यीय/अंतर–राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित परियोजना विशिष्ट एसपीवी थेः –

(1) दिनचांग पारेषण लिमिटेड* [सीआईएनः U40300DL2015GOI288066]
(2) चंदिल पारेषण लिमिटेड [सीआईएनः U40108DL2018GOI330905]
(3) कोडरमा पारेषण लिमिटेड [सीआईएनः U40300DL2018 GOI331192]
(4) दुमका पारेषण लिमिटेड [सीआईएनः U40300DL2018 GOI331490]
(5) मंदर पारेषण लिमिटेड [सीआईएनः U40101DL2018GOI331526]
(6) कल्लम पारेषण लिमिटेड [सीआईएनः U40106DL2020GOI364104]
(7) गडग पारेषण लिमिटेड [सीआईएनः U40100DL2020GOI364213]
(8) फतेहगढ़ भादला ट्रांस्को लिमिटेड# [सीआईएनः U40108DL2020GOI364227]
(9) राजगढ़ पारेषण लिमिटेड [सीआईएनः U40106DL2020GOI364436]
(10) बीदर पारेषण लिमिटेड [सीआईएन# U40106DL2020GOI364498]
(11) सीकर न्यू पारेषण लिमिटेडः [सीआईएनः U40106DL2020GOI364672]
(12) एमपी पावर पारेषण पैकेज–I लिमिटेड [सीआईएनः U40108DL2020GOI367417]
(13) एमपी पावर पारेषण पैकेज–II लिमिटेड [सीआईएनः U40100DL2020GO368275]

** उक्त कंपनी बंद कर दी गई है और 17 अगस्त, 2021 से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से इसका नाम हटा दिया गया है*

 # 4 जून, 2021 को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, विलय की गई इकाई आरईसीपीडीसीएल ने एक स्टैंडअलोन इकाई के रूप में पिछले वित्तीय वर्ष में 222.18 करोड़ रुपए की आय की तुलना में 184.69 करोड़ रुपए की आय दर्ज की। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान विलय की गई इकाई के लिए कर पश्चात् लाभ पिछले वित्तीय वर्ष में 66.91 करोड़ रुपए की तुलना में 25.62 करोड़ रुपए था। इसके अलावा, आरईसीपीडीसीएल की निवल संपत्ति 31 मार्च, 2020 को 280.80 करोड़ रुपए की निवल संपत्ति की तुलना में 31 मार्च, 2021 को 297.99 करोड़ रुपए थी।

22. संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनी के विवरण

आरईसी ने तीन अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, अर्थात पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर 10 दिसंबर 2009 को एक संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) [सीआईएनः यू40200डीएल2009 पीएलसी196789] का गठन किया है। ईईएसएल एक सुपर एनर्जी सर्विस कंपनी (ईएससीओ) है और राज्य डिस्कॉम, ऊर्जा विनियामक आयोगों, राज्य विकास प्राधिकरणों, भावी ईएससीओ, वित्तीय संस्थानों आदि के लिए क्षमता निर्माण हेतु संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करती है। आरईसी ने 31 मार्च, 2021 तक ईईएसएल की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में 218.10 करोड़ रुपए (22.18%) का योगदान दिया है।

ईईएसएल का गठन विशेष रूप से नगर पालिकाओं, भवनों, कृषि, उद्योग आदि जैसी सार्वजनिक सुविधाओं में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों की बाजार पहुंच सृजित करने और उसे बनाए रखने तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, एमएनआरई, भारत सरकार की कई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए किया गया है। ईईएसएल राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन की बाजार से संबंधित गतिविधियों का नेतृत्व भी कर रहा है, जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (एनएपीसीसी) के अधीन 8 राष्ट्रीय मिशनों में से एक है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ईईएसएल के अनंतिम वित्तीय विवरणों के आधार पर, वर्ष के दौरान इसका टर्नओवर 1,471.85 करोड़ रुपए (स्टैंडअलोन आधार पर) था। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमशः 43.96 करोड़ रुपए और 32.87 करोड़ रुपए था।

23. समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए समेकित इंड–एएस वित्तीय विवरणियां तैयार की हैं, जिसमें इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी अर्थात आरईसीपीडीसीएल (लेखापरीक्षित) और संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात ईईएसएल (गैर–लेखापरीक्षित) शामिल है, जिसे कंपनी की स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियां के साथ आगामी 52वीं वार्षिक आम बैठक के समक्ष भी रखा जाएगा।

अधिनियम की धारा 129(3) के अनुसरण में, प्रारूप एओसी–1 में सहायक अनुषंगियों/सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण ों की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाला विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग बनाया गया है। स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) कंपनियों के वित्तीय विवरण, जो आरईसीपीडीसीएल की पूर्णतः स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां हैं, आरईसी के वित्तीय विवरणों के साथ समेकित नहीं किए गए हैं, क्योंकि ऐसी कंपनियों में निवेश/ब्याज को बिक्री के लिए धारित किया जाता है, अतः ऐसी एसपीवी कंपनियों में ब्याज का लेखा–जोखा इंड–एएस 105 के अनुसार किया जाता है।

कंपनी की अनुषंगी कंपनियों के समेकित इंड–एएस वित्तीय विवरणियों और लेखापरीक्षित लेखाओं सहित लेखापरीक्षित इंड–एएस वित्तीय विवरणियां कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.recindia.nic.in पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, इन दस्तावेजों को किसी भी सदस्य या डिबेंचर धारक के लिए किसी न्यासी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखा जाएगा। कंपनी के किसी भी सदस्य द्वारा विशिष्ट अनुरोध पर कंपनी ई–मेल के माध्यम से इसकी प्रति भी उपलब्ध कराएगी।

24. निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित है जो विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हैं। कंपनी के निदेशकों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा समय–समय पर जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार नियत किया जाता है। बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों, नामनिर्दिष्ट निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की गई सिटिंग फीस कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर है। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक कंपनी से किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक या सिटिंग फीस प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक और सिटिंग फीस का विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न 'कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट' में दर्शाया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मण्डल ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी), निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और कंपनी सचिव को कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है। सीईओ की भूमिका सीएमडी द्वारा निभाई जा रही है और सीएफओ की भूमिका कंपनी के निदेशक (वित्त) द्वारा निभाई जाती है।

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 5 नवंबर, 2020 आदेश सं. 46/2/2019–आरई [247264] द्वारा श्री संजय मल्होत्रा, आईएएस (डीआईएन 00992744) को कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया था। श्री संजय मल्होत्रा ने 9 नवंबर, 2020 को कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला।

श्री संजय मल्होत्रा के कार्यभार ग्रहण करने से पहले, श्री संजीव कुमार गुप्ता (डीआईएन 03464342), निदेशक (तकनीकी) विद्युत मंत्रालय के दिनांक क्रमशः 12 जून, 2020, 10 सितंबर, 2020 और 24 नवंबर, 2020 के आदेशों के अनुसरण में 1 जून, 2020 से लेकर 8 नवंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। ।

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 21 अप्रैल, 2020 के आदेश सं. 46/9/2011–आरई [228164] द्वारा श्री अजय चौधरी (डीआईएन 06629871) को 1 जून, 2020 से कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में भी नियुक्त किया था। श्री अजय चौधरी पूर्व में कंपनी में कार्यपालक निदेशक (वित्त) थे।

विद्युत मंत्रालय ने आदेश सं. 46/8/2015–आरई [227696] दिनांक 5 नवंबर, 2020 द्वारा श्री तन्मय कुमार, आईएएस (डीआईएन 02574098), संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय को आरईसी के बोर्ड में सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक उपाध्यक्ष श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, आईएएस (डीआईएन 03426753), संयुक्त सचिव के स्थान पर नियुक्त किया था, जिन्हें पहले आरईसी के निदेशक मण्डल में सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक के रूप में नामित कर लिया गया था।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, श्री अजीत कुमार अग्रवाल (डीआईएन 02231613), निदेशक (वित्त), जो 31 मई, 2020 तक आरईसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे, कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए और वे 1 जून, 2020 से निदेशक नहीं रहे। बोर्ड कंपनी के निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान श्री अजीत कुमार अग्रवाल और श्री मृत्युंजय कुमार नारायण द्वारा प्रदान किए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए उनकी सराहना करता है।

कंपनी के कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी श्री जे.एस. अमिताभ हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान महिला स्वतंत्र निदेशक सहित कंपनी के सभी तत्कालीन स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने या उनके पद की समाप्ति के बाद, बोर्ड और उसकी कुछ समितियों की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और संबंधित वर्ष के लिए सीपीएसई हेतु कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी डीपीई दिशा–निर्देश, 2010 के उपबंधों के अनुरूप नहीं थी। कंपनी ने पहले ही विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार अर्थात नियुक्ति प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वह कंपनी के बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाए, ताकि लागू सांविधिक उपबंधों का अनुपालन किया जा सके।

कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 91 (iv) के अनुसार, पीएफसी के नामित निदेशक श्री प्रवीण कुमार सिंह, (डीआईएन 03548218) कंपनी की आगामी 52वीं वार्षिक आम बैठक में चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते, नियंत्रक कंपनी से अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं का दावा पेश करेंगे। निदेशक मण्डल ने उनकी पुनर्नियुक्ति की संस्तुति की है। श्री प्रवीण कुमार सिंह का संक्षिप्त पूर्ववृत्त और अन्य विवरण एजीएम की सूचना के साथ संलग्न है।

25. निदेशक मण्डल/स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन

सांविधिक उपबंधों के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनी को अपने निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में एक विवरण का प्रकटीकरण करना होता है जिसमें बोर्ड, उसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के कार्य–निष्पादन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है और इसके स्वतंत्र निदेशकों के कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन के मानदंड निहित होते हैं, जैसा कि नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा निर्धारित किया गया है।

तथापि, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 5 जून 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से, अन्य बातों के साथ–साथ, सरकारी कंपनियों को ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवश्यकता से छूट दी है, यदि निदेशकों का मूल्यांकन केंद्र सरकार के उस मंत्रालय या विभाग द्वारा अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है जो कंपनी का प्रशासनिक रूप से प्रभारी है। इसके अलावा, एमसीए ने दिनांक 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना द्वारा यह भी निर्धारित किया कि स्वतंत्र निदेशकों के कार्य–निष्पादन की समीक्षा और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में निर्धारित मूल्यांकन तंत्र से संबंधित प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं।

तदनुसार, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, उपरोक्त अधिसूचनाओं के निबंधनों के अनुसार, अन्य बातों के साथ–साथ, आरईसी को छूट प्रदान की गई है, क्योंकि कंपनी के निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय और/या सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी के गैर–कार्यकारी का कार्य–निष्पादन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अपने आंतरिक दिशा–निर्देशों के अनुसार किया गया था।

इसके अलावा, आपकी कंपनी डीपीई द्वारा जारी एमओयू दिशा–निर्देशों में निर्धारित ढांचे के तहत अपनी नियंत्रक कंपनी पीएफसी के साथ समझौता–ज्ञापन (एमओयू) भी करती है। एमओयू विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से अंतिम प्रदान की गई कंपनी के लिए प्रमुख प्रदर्शन मापदंडों का सीमांकन करता है और कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन एमओयू मापदंडों के अनुसार किया जाता है।

26. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के संदर्भ में, यह पुष्टि की जाती है कि:

(i) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखें तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और इससे कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं किया गया है;

(ii) ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें लगातार लागू किया गया है (नए प्रभावी भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने के अलावा जैसाकि वित्तीय विवरणों के लेखाओं की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है) तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं, जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान कर सकें;

(iii) कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रख–रखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती जाती है;

(iv) वार्षिक लेखे वर्तमान संस्था के आधार पर तैयार किए गए हैं;

(v) कंपनी द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखे गए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे; तथा

(vi) निदेशकों ने सभी लागू विधियों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली तैयार की थी और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

27. समझौता ज्ञापन (एमओयू) रेटिंग और पुरस्कार

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के संदर्भ में, कंपनी के प्रदर्शन के लिए इसे वित्तीय वर्ष 2018–19 में 'उत्कृष्ट' रेटिंग दी गई है और वित्तीय वर्ष 2019–20 की एमओयू रेटिंग प्रतीक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी ने विभिन्न पुरस्कार और मान्यताएं हासिल कीं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- एक्सचेंज4मीडिया द्वारा वीमेन अचीवर्स पुरस्कार, 2020 में महिला अधिकारिता के लिए श्रेष्ठ संगठन
- कार्पोरेट सुशासन के लिए 10वां पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 (महारत्न और नवरत्न श्रेणी में रनर अप)
- कोविड के क्षेत्र में काम करने के लिए स्कॉच पुरस्कार
- महात्मा गांधी सीएसआर उत्कृष्टता पुरस्कार 2020
- सीएसआर, आईटी, पर्यावरण और एचआर के लिए राष्ट्रीय पीएसयू उत्कृष्टता पुरस्कार
- महिला सशक्तिकरण के लिए सीएसआर शाइनिंग स्टार पुरस्कार

आरईसी के कार्पोरेट कम्यूनिकेशन टीम को रेपुटेशन टुडे द्वारा शीर्ष 30 कार्पोरेट कम्यूनिकेशन टीम में से एक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

28. 'थिंक ग्रीन, गो ग्रीन' पहल

कंपनी अधिनियम, 2013 कंपनियों को अपने सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक आम बैठक की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट आदि जैसे दस्तावेज भेजने की अनुमति देता है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, कंपनी ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की 'हरित पहल' के कार्यान्वयन का सक्रिय रूप से समर्थन किया है और ऐसे शेयरधारकों को नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट के इलेक्ट्रॉनिक वितरण को लागू किया है, जिनकी ईमेल आईडी उसके पास पंजीकृत हैं। ऐसे शेयरधारकों को लाभांश (अंतरिम/अंतिम) की सूचना भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जा रही है।

इसके अलावा, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार, कंपनी सभी सदस्यों को ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में निर्धारित संकल्पों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। कंपनी इस वर्ष भी अपनी एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों से आयोजित करेगी। सदस्य एजीएम में ई–वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक भागीदारी के लिए विस्तृत निर्देशों का अवलोकन कर सकते हैं, जैसा कि एजीएम की सूचना में दिया गया है।

जिन सदस्यों ने अब तक अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई–मेल पते कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अधिकर्ता (आर एंड टीए) या अपने संबंधित निक्षेपकारी प्रतिभागी (डीपी) के पास पंजीकृत करें और हरित पहल में भाग लें।

29. स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन

आरईसी ने 16 मई, 2020 से 31 मई, 2020 के दौरान *स्वच्छता पखवाड़ा* मनाया और इसके तहत विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन किया। कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक अभियान आरंभ किया जिससे कार्यालय परिसर और घरों की साफ–सफाई किए जाने के बारे में जागरूकता पैदा हुई। कंपनी ने *स्वच्छता पखवाड़ा* के संदेश को प्रसारित करने के लिए अपने ट्विटर हैंडल का भी प्रयोग किया। कंपनी की वेबसाइट पर एक विशिष्ट अनुभाग बनाया गया था, जिसमें कार्यालय परिसर की साफ–सफाई के लिए आरईसी द्वारा की गई पहलों के बारे में जानकारी प्रदान किया की गई थी।

आरईसी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों ने जरूरतमंदों के मध्य '*स्वच्छता*' किटों का वितरण किया जिसमें हैंडवाश, दस्ताने, फेस मास्क और डस्टर आदि शामिल थे। आरईसी चेन्नई कार्यालय ने चेन्नई के मायलापुर के पास स्थित मलिन बस्ती क्षेत्रों में लगभग 350 परिवारों के मध्य ऐसी किटें वितरित कीं। आरईसी जयपुर कार्यालय ने भी जयपुर और आसपास के मलिन बस्ती क्षेत्रों में जरूरतमंदों को ऐसी किटें वितरित कीं। इसके अलावा, आरईसी के अन्य कार्यालयों ने अपने आस–पास के क्षेत्रों में इसी तरह के कार्यकलाप संचालित किए और देश के विभिन्न हिस्सों में स्वच्छता के संदेश को फैलाने में मदद की।

30. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) को कंपनी में लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। आवेदनों और अपीलों की प्राप्ति और उनसे संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने और अपीलों के निपटान से संबंधित कार्य के समन्वय के लिए एक स्वतंत्र आरटीआई प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। आरटीआई हैंडबुक, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में, आरईसी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदनों और अपीलों की स्थिति निम्नानुसार थी:

क्र.सं.	विवरण	आरटीआई की संख्या
1.	प्राप्त आवेदन	252
2.	निपटाए गए आवेदन	246
3.	बाद में (परंतु सांविधि समय–सीमा के भीतर) निपटाए गए आवेदन	6
4.	अपीलीय प्राधिकारी, आरईसी द्वारा प्राप्त प्रथम अपीलें	15
5.	अपीलीय प्राधिकारी, आरईसी द्वारा निपटाई गईं प्रथम अपीलें	15
6.	केंद्रीय सूचना आयोग से प्राप्त द्वितीय अपीलें	3
7.	केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा निपटाई गईं द्वितीय अपीलें	3

31. सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए लोक अधिप्राप्ति नीति आदेश, 2012 के अधीन रिपोर्टिंग

अधिप्राप्ति प्रक्रिया में यथापरिभाषित एमएसएमई के लिए दिशा–निर्देशों का कंपनी में अनुपालन किया जा रहा है। एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी पहल को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में और निर्धारित सार्वजनिक खरीद मानदंडों को हासिल करने के लिए, जिन्हें नवंबर 2018 से संशोधित किया गया है, आरईसी ने पहले ही एमएसएमई विक्रेताओं से 10 लाख रुपए तक की मूल्य की सामान्य उपयोग की कतिपय वस्तुओं और सेवाओं की 100% खरीद को अनिवार्य कर दिया है और एमएसई को 50% तक की मूल्य वरीयता की अनुमति देने का भी निर्णय लिया है, जिसमें से 20% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित है। इसके अलावा, आरईसी पहले से ही जीईएम (सरकारी ई–मार्केटप्लेस), संबंध और समाधान पोर्टलों पर पंजीकृत है और आरईसी के सभी कार्यालय इसका प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी द्वारा की गई कुल खरीद 11.65 करोड़ रुपए थी, जिसमें से एमएसएमई से खरीद की राशि 8.24 करोड़ रुपए (71%), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से खरीद की राशि 0.56 करोड़ रुपए (7%) और महिला उद्यमियों से खरीद की राशि 0.21 करोड़ रुपए (2.5%) शामिल थी।

आरईसी ने न केवल जीईएम पोर्टल से खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य हासिल किया बल्कि एमएसएमई से भी खरीद का लक्ष्य (25% के लक्ष्य के मुकाबले 71%) हासिल किया । इसके अलावा, वर्ष के दौरान भारत सरकार के एमएसएमई समाधान पोर्टल पर भुगतान में देरी या एमएसएमई विक्रेताओं द्वारा किसी अन्य शिकायत के संबंध में आरईसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई थी।

आरईसी ने अपने सभी अखिल भारतीय कार्यालयों के लिए केवल जीईएम पोर्टल के माध्यम से सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की 100% खरीद करना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा, इस प्रयास को सफल बनाने के लिए, आरईसी ने एक व्यापक जीईएम खरीद प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया है, जिसमें जीईएम के संकाय द्वारा संचालित विशेष सत्र शामिल हैं। इसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया और सभी ने इनकी पर्याप्त प्रशंसा की।

आरईसी टीआरईडीएस (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) पोर्टल पर भी पंजीकृत है और एमएसएमई विक्रेताओं द्वारा बिलों पर छूट के लिए इस मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए भी तैयार है। इसके अलावा, आरईसी ने कोविड–19 महामारी के कारण अपना वार्षिक विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी) भी ऑनलाइन सत्र के माध्यम से आयोजित किया है, जिसमें विभिन्न विक्रेताओं ने भाग लिया। एमएसएमई के लिए आरईसी की लोक अधिप्राप्ति नीति को कंपनी की वेबसाइट और सीपीपीपी (सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल) पर विधिवत प्रकाशित सभी निविदाओं में शामिल किया गया है। सीवीसी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बाह्य अनुवीक्षक (आईईएम) द्वारा तिमाही और वार्षिक आधार पर इसकी गहन जांच और निगरानी भी की जा रही है। आईईएम ने विभिन्न अनुपालनों के लिए आरईसी के प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना की है और यह पाया है कि सभी खरीद संबंधी सभी क्रियाकलाप सही हैं।

32. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुरूप, महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए कंपनी में एक 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन किया गया है। समिति का नेतृत्व कंपनी की एक वरिष्ठ महिला अधिकारी करती हैं और इसमें इसके सदस्यों के रूप में एनजीओ के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। कंपनी के यौन उत्पीड़न विरोधी दृष्टिकोण को आरईसी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम में भी रेखांकित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी को यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

33. वार्षिक विवरणी

कंपनी की वार्षिक विवरणी https://www.recindia.nic.in/annual-returns पर उपलब्ध है।

34. संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं के विवरण

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए प्रारूप एओसी–2 में प्रकट किए जाने वाले संबंधित पक्षकार संव्यवहारों के विवरण 'शून्य' थे।

35. लेखापरीक्षक

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स एस. के. मित्तल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्याः 001135एन) और मेसर्स ओ.पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्याः 000018एन/एन500091) को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए आपकी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है।

इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए अभी सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की जानी है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मण्डल को अधिकृत करने हेतु आगामी वार्षिक बैठक में सदस्यों का अनुमोदन लिया जाएगा, जिन्हें सी एंड एजी द्वारा नियुक्त किया जाना है।

सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव (सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर 6370), नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी की सचिवालयी लेखापरीक्षा करने के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है और इसे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

35.1 लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियां

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है और बिना किसी अर्हता, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण के अपनी रिपोर्ट दी है। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (रिपोर्टें) इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग हैं।

कंपनी के सचिवालयी लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एक अनर्ह रिपोर्ट दी है। हालांकि, बोर्ड और उसकी समितियों की संरचना के संबंध में उनकी कुछ टिप्पणियां हैं। सचिवालयी लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर निम्नानुसार है:

सचिवीय के लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
1. सेबी (सूचीबद्धकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत एक महिला निदेशक सहित बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। 2. आरईसी के बोर्ड में किसी भी स्वतंत्र निदेशक की अनुपलब्धता के कारण लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति की बैठकों की संरचना, अध्यक्षता और गणपूर्ति सेबी (सूचीबद्धकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 18, 19 और 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 के अनुपालन में नहीं थी। 3. आरईसी के बोर्ड में किसी स्वतंत्र निदेशक की अनुपलब्धता के कारण कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अनुपालन में नहीं थी। 4. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित समय के भीतर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और स्वतंत्र निदेशकों की कम से कम एक बैठक आयोजित करने के संबंध में सेबी (सूचीबद्धकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 25(3) और (6) का पालन नहीं किया है।	आरईसी एक सरकारी कंपनी है और कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 91 के उपबंधों के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, तथा यह प्रशासनिक मंत्रालय, यानी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करती है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित आरईसी के सभी पूर्व स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने, त्यागपत्र देने या उनके पद की समाप्ति के बाद, वर्तमान में बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक और महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। तदनुसार, आरईसी के बोर्ड की संरचना, जिसमें कुछ समितियों की संरचना शामिल है, जिसमें स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक भी इसी कारण से आयोजित नहीं की जा सकी। कंपनी ने विद्युत मंत्रालय से कंपनी के बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया है। आरईसी का अनुरोध विद्युत मंत्रालय के पास विचाराधीन है। एक बार, विद्युत मंत्रालय द्वारा अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र और महिला निदेशकों की नियुक्ति हो जाने के बाद, कंपनी सभी लागू सांविधिक उपबंधों का पालन करेगी।

36. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) ने 30 जुलाई, 2021 के पत्र (पत्रों) के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 को हुए समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर 'शून्य' टिप्पणी दी है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सीएंडएजी की टिप्पणियों को इस वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ रखा गया है।

37. डिबेंचर ट्रस्टी

सेबी (दायित्व सूचीबद्धकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में, समय–समय पर जारी किए गए अपने बांडों और डिबेंचर की विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त डिबेंचर न्यासियों के विवरण को दर्शाने वाली सूची इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

38. सांविधिक प्रकटीकरण

क) वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ख) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान किसी भी सार्वजनिक जमा को स्वीकार नहीं किया है और कंपनी के निदेशक मण्डल ने आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में इस संबंध में अपेक्षित प्रस्ताव पारित किया है।

ग) विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा कोई ऐसा उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया था जिससे कंपनी की वर्तमान स्थिति और उसके भविष्य में संचालन को प्रभावित किया जा सके।

घ) कंपनी विभिन्न संव्यवहारों की सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग, प्रचालन की दक्षता और सांविधिक विधियों, विनियमों और कंपनी की नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निगरानी प्रक्रियाओं सहित आंतरिक नियंत्रण की एक पर्याप्त प्रणाली अनुरक्षित करती है। विवरण के लिए, कृपया इस रिपोर्ट के साथ संलग्न 'प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट' का अवलोकन करें।

ङ.) बोर्ड इसकी समितियों की संरचना, संदर्भ शर्तें और वर्ष के दौरान आयोजित इनकी बैठकों की संख्या, सतर्कता तंत्र/सूचना प्रदाता नीति की स्थापना और निदेशकों की जागरूकता/प्रशिक्षण नीति के लिए वेब–लिंक, संबंधित पक्षकार संव्यवहार की भौतिकता और संबंधित पक्षकार संव्यवहार के निपटान के लिए नीति, वास्तविक अनुषंगियों के निर्धारण के लिए नीति, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को मुआवजा, निदेशकों को सिटिंग फीस तथा आईईपीएफ आदि के बारे में विवरण के बारे में जानकारी समय–समय पर यथासंशोधित सेबी (दायित्व सूचीबद्धकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के उपबंधों के अनुपालन में तैयार की गई है और उसे 'कॉर्पोरेट सुशासन पर रिपोर्ट' में प्रदान किया गया है। जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

च) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(11) के अनुसरण में, कंपनियों के वित्त–पोषण अथवा उनके व्यवसाय के सामान्य संचालन में अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान के व्यवसाय में लगी कंपनी द्वारा दिए गए ऋण, दी गई गारंटियां, प्रदान की गई प्रतिभूतियां अथवा किए गए निवेश कंपनी के लिए लागू नहीं हैं, इसलिए कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, निवेश का विवरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के खातों के लिए टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 10 में दिया गया है।

छ) चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के उपबंध और उसके तहत प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित बनाए गए नियम सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं, इसलिए कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।

ज) कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं विद्यमान नहीं हैं, जो वित्तीय वर्ष के अंत अर्थात 31 मार्च, 2021 और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच घटित हुई हैं।

झ) कंपनी ने कंपनी के निदेशकों या किसी कर्मचारी को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

ञ) यथा लागू सतर्कता मामलों, लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरों और आरटीआई मामलों आदि से संबंधित विवरण इस रिपोर्ट में विधिवत रूप से शामिल किए हैं जैसा कि संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 24 जनवरी 2018 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा अपेक्षा की गई है।

ट) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत केंद्र सरकार ने कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के अधीन कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के लिए लागत अभिलेखों के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी द्वारा लागत खातों और अभिलेखों को अनुरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है।

ठ) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों/सचिवालयी लेखापरीक्षकों ने लेखापरीक्षा समिति को कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के किसी मामले की सूचना नहीं दी है।

ड) कंपनी, अपनी सीमा में, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवालयी मानकों का अनुपालन करती है।

ढ) वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी के निदेशक मण्डल में कोई नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया था, इसलिए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(iiiक) के अधीन कोई प्रकटीकरण किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

ण) वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं।

प) 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, दिवाला और शोधन–अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आरईसी के विरुद्ध कोई आवेदन या कार्यवाही लंबित नहीं थी। इसके अलावा, एकबारीय निपटान के समय पर किए गए मूल्यांकन तथा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन की राशि के बीच अंतर के विवरण लागू नहीं होते हैं।

फ) कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) के ऑब्जेक्ट क्लॉज को आखिरी बार वर्ष 2009 में संशोधित किया गया था। तब से, देश में बिजली क्षेत्र के परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया है और कारोबार के नए अवसर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाना है अर्थात (i) जिन उद्देश्यों के लिए कंपनी स्थापित की गई है और (ii) इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए जिन विषयों को आवश्यक समझा जाता है। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज को संरेखित करने के लिए और कंपनी को विद्युत क्षेत्र में उभरते कारोबारी अवसरों का दोहन करने तथा व्यवसाय के नए क्षेत्रों में संभावनाओं का पता लगाने में सक्षम बनाने के लिए, एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में बदलाव हेतु एक विशेष संकल्प शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण एजीएम की सूचना में दिया गया है।

39. गुरुग्राम में कार्यालय का नया भवन

आरईसी ने हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में अपने नए कार्यालय भवन से काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें इसका कॉर्पोरेट कार्यालय स्थित है। यह एक अत्याधुनिक नेट जीरो बिल्डिंग है, जिसकी छत पर 964 केडब्लयूपी सौर पीवी संयंत्र है, जो पेरगोला संरचना द्वारा समर्थित है और इसमें कई अनूठी विशेषताएं भी मौजूद हैं, जैसे फेयर फिनिश व्हाइट कंक्रीट सरफेस, उठा हुआ फर्श, एयर कंडीशनिंग में बिजली की खपत को कम करने के लिए स्लैब के लिए रेडिएंट कूलिंग, एकीकृत भवन प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस), स्वचालित संसर–नियंत्रित प्रकाश व्यवस्था, मोटर चालित ब्लाइंड्स के साथ बायो–क्लाइमेटिक ग्लास सर्फेस और सभागार।

गुरुग्राम, हरियाणा में आरईसी की नई स्टेट–ऑफ–दि–आर्ट कारर्पोरेट कार्यालय भवन

भवन का निर्माण ठेकेदार जेएमसी प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड द्वारा परियोजना प्रबंधन सलाहकार टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) और परियोजना वास्तुकार के रूप में मेसर्स सीडब्ल्यूए, न्यूयॉर्क की देखरेख में किया गया है।

40. एकीकृत रिपोर्ट

सेबी के दिनांक 6 फरवरी, 2017 के परिपत्र के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी की एक 'एकीकृत रिपोर्ट' तैयार की गई है और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

41. सांविधिक और अन्य सूचनाओं संबंधी अपेक्षाएं

कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (दायित्व सूचीबद्धकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई दिशा–निर्देश, 2010 और अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक जानकारी इस रिपोर्ट के साथ निम्नानुसार संलग्न है:

विवरण	अनुबंध
प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	I
कार्पोरेट सुशासन पर रिपोर्ट	II
कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट	III
एकीकृत रिपोर्ट	IV
सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	V
कार्पोरेट सुशासन पर लेखापरीक्षक का प्रमाण–पत्र	VI
सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट	VII
बांडों की विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए नियुक्त डिबेंचर न्यासियों के विवरण	VIII

42. आभार

निदेशक ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नीति आयोग, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को कंपनी के मामलों और संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में उनके सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देते हैं। निदेशक निरंतर सहयोग प्रदान करने के लिए नियंत्रक कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी धन्यवाद देते हैं।

निदेशक, कंपनी के सभी शेयरधारकों, निवेशकों, ऋणदाताओं और बांड धारकों को उनकी सद्भावना और समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं। निदेशक कंपनी के प्रति अपना विश्वास बनाए रखने और उसे पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों, राज्य बिजली यूटिलिटिज और स्वतंत्र बिजली उत्पादकों सहित सभी ग्राहकों और उधारकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवालयी लेखा परीक्षकों और कंपनी से जुड़े अन्य पेशेवरों द्वारा किए जा रहे निरंतर मूल्यवर्धन के लिए कंपनी के निदेशकगण उनके आभारी हैं। अंत में, महामारी के बावजूद अथक परिश्रम करने हेतु कंपनी की सफलता के लिए, निदेशकगण, कंपनी के सभी कार्मिकों की सराहना करते हैं।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

संजय मल्होत्रा
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
(डीआईएनः 00992744)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 27 अगस्त, 2021